खण्ड-313, अंक-4
शुक्रवार, 2 फाल्गुन, शक संवत् 1896
(21 फरवरी, 1975 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 313 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 21 फरवरी, 1975

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--368

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील उर्फ जिमी मियां, श्री (एडवोकेट)।
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमा नाथ, श्री
ऊदल, श्री
ए० पी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)

कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बलराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री

गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर, श्री (ऐडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)।
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डा0
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनोर)
धर्म वीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नन्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)

निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पुरुषोत्तम लाल वधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभुनारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारीराम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बल वीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मिस्त्रयार खां, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री

मेघनाथ सिंह शिशौदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम मूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री

लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उम्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल लाट, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल घुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुव राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट—स्वायत्त शासन मन्त्री श्री जगदीश शरण अग्रवाल भी सदन में उपस्थित थे।

उपाध्यक्ष का निर्वाचन (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्यगण जैसा कि कल सदन में निश्चय किया गया है कि उपाध्यक्ष पद के लिये निर्वाचन होगा। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 9(4) के अनुसार नाम वापसी के पश्चात् तीन नाम थे। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि इसके पूर्व कि मैं कुछ कहूं मुझे अभी-अभी माननीय नेता विरोधी दल की एक चिट्ठी मिली है।

दूसरा माननीय हरीशकुमार गंगवार का पत्र इस प्रकार है कि "माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश। मैंने विधान सभा के उपाध्यक्ष का चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है। मैं उक्त पद के प्रत्याशी के रूप में अपना नाम वापस लेता हूं।" हरीशकुमार गंगवार।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से कोई नहीं है।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

जैसा कि आपस में तय हुआ था, भिन्न-भिन्न पार्टियों के नेताओं के बीच में, कि विरोधी दल का कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष होगा जिस पर सबकी सम्मति होगी। तदनुसार हमारे दल के माननीय सदस्य ने अपना नाम वापस ले लिया है। हमारे दल का निश्चय पूर्ववत् है लेकिन मैं आसानी पैदा करना चाहता हूं कि कोई विरोधी दल का आदमी होना चाहिये। इसके आगे कार्यवाही होनी चाहिये। मुझे दुख है कि सरकारी पक्ष का कोई सज्जन जो फ्रंट बेंचेज पर बैठते थे, नहीं है। (व्यवधान) फ्रंट बेंच और पिछली बेंच के मतलब यह समझ नहीं पाये तो मैं क्या कह सकता हूं। जिन्होंने वचन दिया था उन्हें आज उपस्थित रहना चाहिये। मेरा किसी मन्त्री के प्रति अनादर नहीं है लेकिन मेरा मतलब यह है कि जो उस समय उपस्थित थे उन्हें ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित रहना चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

हमारे डाक्टर चरण सिंह बैठे हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वसम्मति से नाम-निश्चित करेंगे इसलिये मैंने अपना नाम वापस ले लिया।

श्री काशीनाथ मिश्र--

सर्वसम्मत शब्द अब यहां विधान सभा में नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय काशीनाथ जी की जानकारी के लिये मैं नियम की स्थिति से उन्हें अवगत कराना चाहता हूं कि चुनाव होने से पहले तक नाम वापसी का प्राविधान है, जैसी कि मैंने अभी घोषणा की माननीय हरीशकुमार गंगवार ने अपना नाम वापस ले लिया है।

---

†20 फरवरी, 1975 की कार्यवाही से।

श्री हरीशकुमार गंगवार ––

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि थोड़ा और मौका विरोधी दलों को मिलना चाहिये जिससे सर्वसम्मत नाम दे सकें। इसलिये चुनाव को स्थगित किया जाना चाहिये और कुछ समय के लिये हमें फिर से मौका मिलना चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र––

चुनाव स्थगित का कोई प्रश्न नहीं होता है जैसा कि आपने कहा है कि अब क्या प्रयास होगा कि कोई अपना नाम वापस ले ले। माननीय शिवनाथ सिंह अपना नाम वापस लेने वाले नहीं हैं। एक साल बीत गया है प्रयास होते-होते।

श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)––

श्रीमन्, विरोधी दलों को एक बार फिर से मौका देना चाहिये ताकि विरोधी दल सर्वसम्मत नाम पर पहुंच सकें।

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा) ––

श्रीमन्, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है। इसलिये अब चुनाव की प्रक्रिया होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष––

मैं माननीय नेता विरोधी दल का एक पत्र जो मुझे अभी-अभी मिला है....

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)––

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष––

मुझे माननीय नेता विरोधी दल का एक पत्र मिला है इसको मैं पढ़ रहा हूं। माननीय त्रिवेणी सहाय जी इसमें कौन अव्यवस्था पैदा हो गई जो आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं। "आज दिनांक 21 फरवरी, 1975 को आपकी घोषणा के अनुसार होने वाले उपाध्यक्ष के चुनाव के सन्दर्भ में निम्नलिखित निवेदन करता हूं :––

लोक-तांत्रिक प्रणाली और परम्पराओं के अनुसार विधान सभा, उत्तर प्रदेश में भी विरोध पक्ष का उपाध्यक्ष होना है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद की गरिमा इसी में निहित है कि यह चुनाव सर्वसम्मति से हो और पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का विश्वास उसमें हो। सौभाग्य से नेता सदन ने भी ऐसे ही विचार प्रकट किये हैं और उनकी इसमें पूर्ण सहमति है कि उपाध्यक्ष विरोध पक्ष का ही रहेगा।

यह दुर्भाग्य का विषय है कि कल सदन में अन्तिम समय तक 3 नाम प्रस्तावित बने रहे।

मेरे निवेदन पर आपने सर्वसम्मति से एक व्यक्ति का ही नाम बने रहने के लिये एवं आवश्यकता पड़ने पर चुनाव प्रणाली को पूर्णत: समझने के लिये आज 11 बजे दिन तक का समय दिया है। उस पर नेता सदन ने अपनी सहमति दी। जनसंघ के नेता माननीय श्री माधव प्रसाद जी त्रिपाठी ने मुझे सूचित किया है कि पूर्व निर्णय के अनुसार उन्होंने अपने दल के प्रत्याशी श्री हरीश कुमार गंगवार को हटा दिया है। और अब वे उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी नहीं हैं।

[श्री अध्यक्ष]

कल सायंकाल 5 बजे सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जार्ज फर्नेंडिस ने विधान भवन के प्रेस रूम में यह घोषणा की है कि उपाध्यक्ष पद के लिये अपने दल के प्रत्याशी श्री शिवनाथ सिंह को वे अमान्य घोषित करते हैं। यह समाचार कल प्रादेशिक समाचार के बुलेटिन में भी प्रसारित किया गया। आज सभी समाचार पत्रों में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है। सोशलिस्ट पार्टी के एक विधायक ने मेरे दल के महा मन्त्री एवं एक विधायक के सम्मुख सूचित किया है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल सायंकाल श्री शिवनाथ सिंह को निर्देश दिया है कि वे उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी न बनें।

इस प्रकार श्री शिवनाथ सिंह सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी नहीं रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा के उपरान्त यदि वे प्रत्याशी बने रहते हैं और कोई अन्य सदस्य उनके दल का समर्थन करता है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि श्री शिवनाथ विपक्षी दल के प्रत्याशी हैं।

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद ऐसा है कि जिसे सम्पूर्ण सदन का विश्वास प्राप्त होना चाहिये और ऐसी ही इच्छा नेता सदन ने भी व्यक्त की थी।

मुझे आशा है कि आप नेता सदन को पूर्ण स्थिति से अवगत करा कर अपने प्रभाव का प्रयोग करके लोकतन्त्र प्रणाली और परम्पराओं की रक्षा करने हेतु श्री मुहम्मद असरार अहमद को सदन का उपाध्यक्ष घोषित करेंगे।"

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया--

अध्यक्ष महोदय, माननीय हरीश कुमार गंगवार जी ने अपना नाम वापस ले लिया है, तब भी इस समय दो अपोजीशन के उम्मीदवार हैं, इसलिये आप चुनाव करायें।

श्री अध्यक्ष--

यह अपील है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने माननीय नेता विरोधी दल का पत्र पढ़ा वह आप पर या हाउस की कार्यवाही पर या डिप्टी स्पीकर के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। माननीय नेता विरोधी दल के अनुसार माननीय शिवनाथ सिंह विरोधी दल के नहीं माने जायेंगे, यह उनका कहना तानाशाही बात है। जब सोशलिस्ट पार्टी ने श्री शिवनाथ सिंह का नाम प्रस्तावित किया तो वह उस प्रस्ताव के तहत विरोधी दल के माने जाते हैं। सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश का उल्लंघन करना उल्लंघन नहीं माना जायगा।

श्री त्रिवेणी सहाय--

माननीय अध्यक्ष जी, यह नयी परम्परा होने जा रही है। यह अत्यन्त ही दुखद पूर्ण है जो यह परम्परा बनायी जा रही है।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से बहुत छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। मेरे माननीय सदस्य जो ट्रेजरी बेन्चेज की ओर बैठे हुए हैं, तरह-तरह की कानूनी

दलीलें दे रहे हैं, मगर उन कानूनी दलीलों में कोई सार नहीं है। यह कानूनी दलीलों का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि अपोजीशन का कोई आदमी उपाध्यक्ष होना चाहिये या न होना चाहिये। इसको माननीय नेता सदन भी मानते हैं। सोशलिस्ट पार्टी जो एक छोटा सा दल है और जिसमें केवल 5 सदस्य हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं . . . .

*चौधरी चरण सिंह--

तो मैं कह रहा था छोटा दल जिसमें 5 सदस्य हैं, उनकी ओर से एक कन्डीडेट को खड़ा किया गया है। चाहे एक सदस्य एक दल में हो, अगर उसको अपोजीशन पार्टी का समर्थन आम तौर से प्राप्त है तो कोई हानि नहीं है, शिवनाथ सिंह कुशवाहा को यह मौका हासिल नहीं है। उनको केवल अपने दल का समर्थन प्राप्त है और उनमें से भी सबका नहीं प्राप्त है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्त जो इतने जोश में आये हुए हैं कि बोलने तक की इजाजत नहीं दे रहे हैं। आप यह सब अपने पशु बल के आधार पर कर रहे हैं। मेरा लफ्ज संसदीय है, असंसदीय नहीं है। इसलिये खामोशी से सुनें। अगर आज इस तरह से उपाध्यक्ष चुन जाता है तो उसको सदन का आमतौर से विश्वास प्राप्त होना मुश्किल है। तो मैं यह कह रहा था कि आपस में बात कर लें। उपाध्यक्ष की बाबत कोशिश यही रहती है कि वह हाउस के विश्वास से चुना जाये और अध्यक्ष मेजारिटी पार्टी का और उपाध्यक्ष हो अपोजीशन पार्टी का, इसके लिये यहां रजामन्दी हासिल करें और तब उसका निर्वाचन होना चाहिये तभी वह सबका विश्वास प्राप्त कर सकता है। मेरे दोस्त तरह-तरह की दलीलें दे रहे हैं और सुनना भी नहीं चाहते हैं। जो नशा है वह नहीं रहेगा।

(शासक पक्ष की ओर से आवाज--जरूर रहेगा)

(विपक्ष की ओर से आवाज--नहीं रहेगा, नहीं रहेगा)

नेशनल चेयरमैन ने कह दिया कि हम उनको डिसएप्रूव करते हैं। उनको चारों का भी समर्थन नहीं प्राप्त है। तो मैं केवल यही कह सकता हूं कि सदन शायद एक भी दिन नहीं चल सकेगा।

श्री नियाज हसन खां--

अध्यक्ष महोदय, एक सुझाव माननीय चौधरी चरण सिंह, नेता विरोधी दल की ओर से आया और उसमें साफ लिखा हुआ है कि नेता सदन से बातचीत कर ली जाय। इस समय सदन में न तो नेता सदन मौजूद हैं और न संसदीय मन्त्री। सरकार की ओर से कौन बोलने वाला है, यह भी जाहिर नहीं है। अगर सरकारी पक्ष का यही रवइया है तो मैं समझता हूं कि ऐसी बात पैदा हो जायगी इस सदन में जो कि आपके नेतृत्व में नहीं होनी चाहिये। मेरा तो यह सुझाव है कि आप इस मसले पर नेता सदन से जरूर बात कर लें और अगर यही मतलब है सरकारी पक्ष का कि चुनाव हो, तो मैं नेता विरोधी दल से कहूंगा कि उसमें हमें भाग नहीं लेना चाहिये और सदन से बिल्कुल निकल जाना चाहिये और कार्य-वाही में शरीक नहीं होना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, इस समय इतने अहम विषय पर चर्चा हो रही है लेकिन सदन में न तो माननीय मुख्य मन्त्री जी हैं और न संसदीय मन्त्री जी ही उपस्थित हैं। कल माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यहीं पर यह कहा था कि इस चुनाव से सत्तारूढ़ पार्टी का कोई सम्बन्ध नहीं है। श्रीमन्, यह प्रश्न सारे सदन से सम्बन्धित है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप व्यवस्था दें और आज्ञा दें कि माननीय मुख्य मन्त्री एवं संसदीय मन्त्री यहां पर उपस्थित हों।

(व्यवधान)

श्री धर्मवीर सिंह (जिला इलाहाबाद)--

जिस परम्परा की सदन में दुहाई दी जा रही है, मेरा निवेदन है कि क्या कारण है एक तो अल्पमत पार्टी का प्रत्याशी कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा है और उनके दल का प्रत्याशी मुहम्मद असरार अहमद है। तो अपने दल की गरिमा को कायम रखने के लिये वे माननीय मुहम्मद असरार अहमद का नाम वापस ले लें और कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा को उपाध्यक्ष के पद पर चुन लें। (व्यवधान) मैं माननीय अध्यक्ष जी की आज्ञा से बोल रहा हूं। मेरी नेता विरोधी दल से यही प्रार्थना है कि वे माननीय मुहम्मद असरार अहमद का नाम वापस ले लें। इससे बढ़ कर और कोई परम्परा नहीं हो सकती है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जिस मसले पर हम विचार विमर्ष कर रहे हैं और कल भी जिस पर विचार हुआ था यह सारा मसला सदन की गरिमा से सम्बन्धित है और इस समय सदन में माननीय मुख्य मन्त्री और माननीय संसदीय मन्त्री उपस्थित नहीं हैं और सदन का अवमान कर रहे हैं। तो जो नेता विरोधी दल इस समय विचार व्यक्त कर रहे हैं यह आवश्यक है कि वे इस विचार धारा से परिचित हों। अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि आप दोनों को बुलवा लें और उनसे कहें कि वे सदन में रहें।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि ये शब्द सदन की कार्यवाही से निकाल दिये जायं।

श्री अध्यक्ष--

कार्यवाही से तभी निकाला जा सकता है जब वे अवमान करते हों किन्तु वे कहते हैं कि मुख्य मन्त्री जी के यहां न होने से सदन का अवमान हुआ, यह नहीं निकाला जा सकता।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, आप मुख्य मन्त्री और संसदीय मन्त्री जी को बुलवायें और उसके बाद इस विषय पर चर्चा हो, वही इस सदन की गरिमा के अनुरूप होगा।

श्री अध्यक्ष--

सभी मन्त्रियों को आप कैसे कह सकते हैं लेकिन नेता सदन का इस समय यहां रहना जरूरी है। चौधरी साहब भी इस बात से सहमत हैं कि नेता सदन का रहना जरूरी है।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैंने खबर भेजी है नेता सदन के पास। उन्होंने समझा कि चुनाव होगा। खबर भेजी है, आ जायेंगे ? नेता सदन का रहना मैं आवश्यक समझता हूं, सभी मन्त्रियों का नहीं।

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कल यहां पर बता दिया था कि इस मतदान में सब स्वतन्त्र हैं और उनका स्टैन्ड आज भी यही है। इस समय वह दूसरे सदन में किसी आवश्यक कार्य के लिये हैं। इसलिये आप चुनाव करा दें, कोई ऐसी बात नहीं है, मुख्य मन्त्री जी ने जो कल कहा वही स्टैन्ड उनका आज भी है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

हमारे माननीय सदस्य बार-बार कह रहे हैं कि जो कुशवाहा जी रह गये हैं वह अपोजीशन के हैं लेकिन सोशलिस्ट पार्टी के वह उम्मीदवार हैं। अगर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके नाम को अमान्य कर दिया तो या तो वह अपना नाम वापस ले लेते हैं नहीं तो उस पार्टी के अनुशासन में वह नहीं हैं। तो आप इसकी जांच कर लें।

श्री अध्यक्ष—

बाहर दलों के नेताओं का कोई बयान है उसको हम नहीं मानते। हम यहां जो फैसला होगा उसको मानेंगे। लेकिन नेता विरोधी दल का जो वक्तव्य है उसके आधार पर मैंने राय जाननी चाही थी। माननीय गोविन्द सिंह नेगी।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी तथा श्री त्रिवेणी सहाय एक साथ बोलने लगे)

श्री त्रिवेणी सहाय—

परम्परा यह रही है कि सदन के अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से होगा और उपाध्यक्ष का चुनाव भी विरोधी दल जैसे चाहेगा उसके अनुसार होगा। ऐसा समय भी आया है जब छोटी पार्टी के सदस्य भी उपाध्यक्ष हुये हैं...

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

है। आप नियम देखें।

श्री अध्यक्ष—

नियम का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि सदन कैसे चले। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय नेता विरोधी दल ने एक अपील भेजी है.....

(व्यवधान)

आप सुनिये न ? व्यवस्था की बात नहीं, वैसे कुछ कहना हो तो बात अलग है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

आपने दो बार चुनाव टाला, कल फिर स्थगित कर दिया। सत्ता पक्ष के लोग चाहते हैं कि विरोध पक्ष में फूट पड़ी रहे और ऐसे आदमी को चुन लिया जाय जो बाद में कांग्रेस में शामिल हो जाय। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह गलत परम्परा जो यहां पड़ने जा रही है उसे न पड़ने दें और यह भी मांग करता हूं कि इस वक्त यह चुनाव टाल दिया जाय। एक बार फिर प्रयास किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न आपका नहीं है, राय आपकी है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

माननीय बहुगुणा जी चालाकी से काऊंसिल में जाकर बैठ गये।.....

(व्यवधान)

(नेता सदन के आ जाने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता सदन आ गये हैं, यह चिट्ठी जो माननीय नेता, विरोधी दल की है, उसे पुन : पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं माननीय नेता सदन के पास उस चिट्ठी को भेज देता हूं.....(व्यवधान) वे कृपया उसे पढ़ लें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

हम चाहते हैं कि मान्यवर, इस चुनाव में कोई कन्ट्रोवर्सी न हो, लेकिन दुख है कि विरोध पक्ष एक नहीं है। यह भी कहना गलत है कि 4 आदमियों की पार्टी विरोधी पार्टी नहीं हो सकती। भारतीय क्रान्ति दल यदि अन्य दलों से भी सलाह करता तो एक स्वस्थ परम्परा कायम होती। वह दल हमको तो विरोधी दल में मानता ही नहीं है। उसकी दृष्टि में वही विरोधी दल है जिसको माननीय चौधरी साहब का सार्टिफिकेट प्राप्त हो। अभी जनसंघ के माननीय नेता ने कहा कि उनके दल ने अपने सदस्य का नाम वापस ले लिया है, मगर यह नहीं कहा है कि किस के पक्ष में वापस लिया है। इसलिये सारी स्थिति को देखते हुये यह उचित मालूम होता है कि चुनाव हो जाय। चौधरी साहब ने जो धमकी दी है कि अगर ऐसा होगा तो सदन नहीं चलेगा, यह कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है। हम समझते हैं कि जो भी व्यक्ति चुन कर वहां बैठेगा वह निष्पक्ष होगा, निर्दलीय होगा और सदन की गरिमा को वह बढ़ायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

माननीय चौधरी साहब ने जो फरमाया कि फलां पार्टी का फलां उम्मेदवार विरोधी पक्ष का नहीं रहा तो वह बिलकुल वैसा ही है जैसे कायदे आजम जिन्ना यह कहा करते थे कि जो मुस्लिम लीग में नहीं है वह मुसलमान नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप चुनाव होने दें ताकि निष्पक्ष राय आ सके।

*श्री शत्रुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो विरोधी दल का उम्मीदवार हो वह उपाध्यक्ष बनाया जाय, यह कोई संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली में लिखी हुई बात नहीं है। लेकिन एक बात हुई है लोकतन्त्र बचाने की बात, उसके आधार पर विरोधी दल का आदमी यहां का उपाध्यक्ष होना चाहिये। लेकिन एक बात मैं बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आज जो स्थिति पैदा हुई है कि पूरे हिन्दुस्तान और पूरे सूबे के अन्दर सारे के सारे तमाम लोग जिस नजर से कांग्रेस को देख रहे हैं, उसी नजर से विरोधी दल को भी देख रहे हैं। अगर कोई विरोधी दल का उम्मीदवार उपाध्यक्ष नहीं होता है तो यह साफ है कि सारे के सारे विरोधी दल को तथा संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को कमजोर करने की कांग्रेस पार्टी की साजिश है और उसका परिणाम हमारे जनतन्त्र को भुगतना पड़ेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्यों ने कहा कि चौधरी साहब की नजर लोकतन्त्र के विरोध में है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या वास्तव में जो उम्मीदवार हैं वे विरोधी पक्ष के सदस्य हैं? कम्युनिस्ट पार्टी की ही ऐसी पालिसी हो सकती है कि हिन्दुस्तान में रहते हुये भी हिन्दुस्तान के बाहर रूस की उसकी मार्क्सिस्ट पालिसी हो। मुझे मालूम है कि कल संसदीय मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी के घर पर बैठक हुई और वहां श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा की उम्मीदवारी का समर्थन करने की घोषणा की गयी जब कि कल माननीय मुख्य मन्त्री ने यह कह दिया था कि हमारी पार्टी का इस मामले में स्वतन्त्र व्यवहार रहेगा। लेकिन मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि स्वतन्त्र आचरण सत्ता कांग्रेस के लोग नहीं कर रहे हैं। सत्ता कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि बहुमत के बल पर, जिसे चौधरी साहब ने पशुबल कहा है, विरोधी दल को बिलकुल कमजोर बना दें। अध्यक्ष महोदय, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष श्री फर्नेनडिज ने जब यह घोषणा कल कर दी कि उनकी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं है, उसके बाद भी अगर उनको उम्मीदवार रखा जाय तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य यहां मौजूद हैं, और सारे के सारे विरोधी दल के सदस्य भी मौजूद हैं, बहादुरी के साथ उनको सदन के सामने बिना किसी संकोच के खड़ होकर कहना चाहिये कि आपके क्या विचार हैं, उसके बाद भी वे उम्मीदवार रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अगर वे सत्ता कांग्रेस के बल पर जीत जाते हैं तो जाहिर है कि यह संसदीय प्रणाली को कमजोर करने की साजिश है, यह लोकनायक श्री जयप्रकाश के आन्दोलन को कमजोर करने की साजिश है लेकिन इससे श्री जयप्रकाश का आन्दोलन कमजोर होने वाला नहीं है। अगर उपाध्यक्ष विरोधी दल का नहीं होता है तो संसद हो या विधान सभा, चलने वाली नहीं है।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

अध्यक्ष महोदय, क्या यहां यह भाषण हो रहा है ?

(व्यवधान)

*श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, यह सही है कि परम्परा ऐसी रही है कि ऐसे मामले में एक मत सभी विरोधी पक्ष का होना चाहिये। लेकिन चौधरी साहब जो हमारे विरोधी पक्ष के नेता हैं, मैं देखता हूं कि जब से सदन चल रहा है बराबर उनकी तरफ से बड़ी पार्टी के लोग और सत्ता पक्ष के लोग छोटी-छोटी पार्टी की तरफ संकेत करते हैं। उनका कहना बिलकुल सही है कि हम छोटी पार्टी के लोग हैं, यह भी सही है कि हम नियमों को न समझें और नियमों पर न चलें, लेकिन यह भी सही है कि बार-बार छोटी पार्टी, छोटी पार्टी कह कर उनकी ओर संकेत करना भी संसदीय प्रणाली के विरुद्ध है।

चौधरी साहब ने कहा कि 5 हैं। क्या यह माना जाय कि 5 सोशलिस्ट पार्टी के और 2 सी0 पी0 एम0 के विरोधी पक्ष के नहीं हैं। विरोधी पक्ष के नेता की यह सारी जिम्मेदारी है और यह विरोधी पक्ष के नेता के ऊपर है कि वह हमको विश्वास में नहीं लेते हैं और न वह हमारा विश्वास पा सकते हैं।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवती प्रसाद]

मैंने स्वर्गीय राम सेवक यादव जी से कहा था, लाबी में कहा था कि हम दो ही होते हैं, लेकिन उसको ध्यान में नहीं लिया गया। हमारी राय को नहीं लिया गया। यह महानता और सदन की गरिमा, परम्परा और संसदीय प्रणाली के विरुद्ध है। अगर चौधरी साहब चाहते तो मैं समझता हूं कि जैसा अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि 5 हैं, तो मैं समझता हूं कि 1 ही होता, एक ही उम्मीदवार होता और जो चार्ज सत्ता पक्ष पर लगाये जा रहे हैं वह न लगते। सारी जिम्मेदारी विरोधी पक्ष के नेता व सदस्यों के ऊपर है जो 2 उम्मीदवार लड़ने जा रहे हैं। अभी जैसा एक सदस्य ने कहा कि परम्परा को तोड़ रहे हैं, अनुशासन को तोड़ रहे हैं तो वह बात नहीं है। जैसा संगठन कांग्रेस के साथी ने कहा कि यह व्यवस्था का प्रश्न है कि 4 लोग कांग्रेस में जायेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस के अन्दर स्वस्थ परम्परा है, स्वस्थ परम्परा आती है तो उसे हमें स्वीकार करने में एतराज नहीं है।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं और अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि असरार भाई से हमारी कोई बात नहीं है, असरार भाई को होना चाहिये, सारी बात सही है, लेकिन धमकी आप सत्ता पक्ष को दे सकते हैं हमको नहीं। हम बी0 के0 डी0 के बलवान सिंह नहीं हैं।

*श्री हरि केवल (जिला देवरिया)---

अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे दल के किसी साथी के कांग्रेस में जाने का सवाल है, यह शायद ऐसा जो लोग समझते हैं उनकी कम ख्याली है। हम किसी के बल पर चुनाव जीत कर नहीं आये हैं, हम अपने बल पर चुनाव जीत कर आये हैं। इस समय जो इशारा चल रहा है उससे हम भलीभांति परिचित हैं। हमारे दल के राष्ट्रीय नेता श्री जार्ज फर्नांडीज ने कल एक बयान दिया है और हमारी पार्टी को अभी कल जो सूचना मिली है उसके अनुसार हमारे साथी श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार नहीं हैं।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

लेकिन इसके साथ स्थिति यह है कि अगर वह अपने को स्वतन्त्र समझते हैं तो चुनाव मैदान में स्वतन्त्र रहकर चुनाव लड़ें। हम लोग लोक नायक जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन को सफल बनाने के लिये और सत्ताधारी, पूंजीवादी व्यवस्था को, पूंजीपरस्तों को समाप्त करने के लिये विरोधी पक्ष के साथ एक ही हैं और एक ही रहेंगे।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

मैं कहना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के नेता बैठे हैं और नेता सदन बहुगुणा जी बैठे हैं। अगर नेता सदन बहुगुणा जी चाहते हैं विरोधी पक्ष को उपाध्यक्ष का पद दिया जाय, अगर वह यह चाहते हैं तो विरोधी पक्ष को उपाध्यक्ष का पद देने में क्या विवाद है?

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन इसी के साथ-साथ विरोधी पक्ष का जहां तक सवाल है उसको अपने छोटे दलों को हजम नहीं करना चाहिये, यह बात सही है। लेकिन हम बताशे के लिये मन्दिर को गिराना नहीं चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है कि सत्ताधारी दल को समाप्त करके विरोधी पक्ष को विकल्प के रूप में खड़ा करना। इसलिये अन्त में मैं यह गुजारिश करना चाहूंगा मुख्य मन्त्री जी से और नेता विरोधी दल से कि यह जो विवाद है उसको समाप्त करके सर्वसम्मति से चुनाव का काम कर दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

अभी हमारे माननीय साथी ने कहा कि विरोधी दल के लोग मुझे विरोधी नहीं मानते हैं। तो यह उनका ख्याल है। मैं कहता हूं कि चाहे 2 आदमी हों या चार आदमी हों यदि वे विरोधी दल का साथ करते हैं और विरोधी दल का कार्य करते हैं तो मैं उनको बिरोधी दल का ही मानता हूं। मैं यह कदापि नहीं समझता हूं कि वे विरोधी दल के नहीं हैं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष जी, जो प्रकरण आपके सामने है उसमें एक अजीब स्थिति पैदा हो गयी है। मैं इस मामले में बोलने का आदी नहीं हूं लेकिन कुछ बातें दोनों पक्ष से उठायी गयी हैं तो उसका निराकरण करना दल के हित में आवश्यक है। हम विरोधी दल के हैं कि नहीं इसके लिये किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट देने वाले लोग जब सत्ता की कुर्सियों में आराम करते थे तब से और उसके पहले से सन् 1948 से जो यहां 5 सोशलिस्ट के लोग चुनकर आये हैं जैसे श्री आचार्य नरेन्द्र देव और डा0 राम मनोहर लोहिया ने जनता के बीच अपना घर बनाया था, घर बनाया है। वे किसी की भीख पर जीत कर नहीं आये थे और न हम किसी के भरोसे ही हैं। हम तो जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन में विश्वास करते हैं लेकिन परिस्थिति यह है कि यह स्थिति क्यों आयी? मैं तो कहता हूं कि इसकी सारी जिम्मेदारी सत्ताधारी दल की है। सत्ताधारी दल हमारी कमजोरियों का फायदा उठाना चाहता है, हमारी परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहता है। लेकिन उसके लिये हम और हमारे नेता चौधरी साहब उसके परे नहीं हो सकते हैं।

सुझाव यह था कि जो बड़ा दल है भारतीय लोक दल उसका उम्मीदवार डिप्टी स्पीकर हो। चौधरी साहब को 3 नाम उपाध्यक्ष के लिये दे देने चाहिये थे जैसे जनसंघ और सोशिलिस्ट पार्टी से भी। इन्हीं दलों के 3 नामों में से किसी की सिफारिश करते और वह सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष हो जाते। मैं बड़ी नम्रता से चौधरी साहब से निवेदन करूं कि पालिटिक्स में रिजीडिटी नहीं चलती है। यदि हठवादिता से काम करेंगे तो सत्ताधारी दल उसका फायदा उठायेगा। सोशिलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष, जार्ज फर्नान्डीज ने स्पष्ट कह दिया था कि उस कैन्डीडेट को डिसएप्रूव करता हूं। हमारे दल की जो मान्यता है वह सारे हिन्दुस्तान में जय प्रकाश नारायण की जो सम्पूर्ण क्रान्ति की भावना है वह हमारी विधान सभा में और उसके बाहर उसका समर्थन करेंगे। यह हमारा विश्वास है और हम शासन से अनुरोध करेंगे कि वह अपने कैन्डीडेट को वापस लें। नेता विरोधी दल चौधरी साहब से, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी से, कांग्रेस के नियाज हसन जी और सी0 पी0 आई0 से तथा श्री बहुगुणा जी से अनुरोध करूंगा कि विशेष परिस्थिति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

को देखते हुये एक ऐसी परम्परा कायम करें कि जिससे कुछ कहने का मौका न मिले। जो लोग यह कहते हैं कि यह पार्टी कांग्रेस में जाने वाली है तो मैं उनके मुंह पर तमाचा मारना चाहता हूं। यह पार्टी 1948 से किसानों के बीच में है और जो कहते हैं कि कांग्रेस में जाने वाले हैं तो वह लोग पहले सत्ता धारी दल में रह चुके हैं। ऐसे शब्दों के प्रति मेरी घोर आपत्ति है और अफशोश यह है कि वही लोग हमसे दल बदलने की बात करते हैं जो कई बार दल बदल चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका सदन में विशेष प्रभाव है और यह जो स्थिति उत्पन्न हो गयी है उसको सही दिशा में लाने का प्रयत्न करें।

*चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, कुछ देर पहले माननीय गर्ग जो कि हरिद्वार कांस्टीटुएन्सी की नुमायन्दगी करते हैं, उन्होंने एक बात कही। माननीय ओझा ने भी एक बात कही और उनकी जो गलतफहमी है तो उसको और अपनी पोजीशन को मैं साफ करना चाहता हूं। माननीय गोविन्द सिंह नेगी ने भी वही बात कही थी। यह कहना कि चूंकि भारतीय लोक दल एक बड़ा दल है इसलिये मैं या मेरा दल अपने साथियों की उपेक्षा करता है तो यह गलत है। न तो मेरी ऐसी मंशा है और न ही ऐसा दृष्टिकोण है। मैं माननीय गर्ग और दूसरे दोस्तों की इत्तिला के लिये बतलाना चाहता हूं कि यह जो परम्परा शुरू हुई कि अपोजीशन पार्टी का उपाध्यक्ष हो तो मैं बहुत नम्रता के साथ बताना चाहता हूं कि यह परम्परा सन् 1956 से शुरू हुई। उस समय डा० सम्पूर्णानन्द जी हमारे मुख्य मन्त्री थे और यह परम्परा मेरे सुझाव पर ही शुरू हुई। पार्टी में इस पर बहस हुई और मेरे सुझाव पर यह परम्परा शुरू हुई। माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी जो कि सदन के सदस्य नहीं हैं लेकिन मौजूद हैं, उनसे पूछ सकते हैं! अगर किसी साहब को शक हो, तो उनसे इस बात की तस्दीक कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, पिछली बार सन् 1969 में आप सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य चुन कर आये थे और सोशलिस्ट पार्टी की तादाद 33 थी। उस वक्त भारतीय क्रान्ति दल के नाम से हमारा दल कहलाता था और हमारी तादाद 98 थी। लेकिन मैंने अपने दल में अपने साथियों से मश्विरा करके सोशलिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि जो कि मायनोरिटी में थे और तीसरे नम्बर पर थे, क्योंकि जनसंघ दूसरे नम्बर पर था, आपका नाम पेश किया था। मैंने इस बात का इसरार नहीं किया कि चूंकि हमारे पार्टी के 98 प्रतिनिधि हैं लिहाजा हमारा ही उपाध्यक्ष होगा, यह दूसरी बात आपके सामने पेश कर रहा हूं।

तीसरी बात यह है कि मैंने कभी यह नहीं कहा कि सोशलिस्ट पार्टी चूंकि छोटी पार्टी है इसलिये उसका प्रतिनिधि उपाध्यक्ष नहीं चुना जा सकता। मैंने कहा कि उनका अपना चार या पांच आदमियों का दल है और अगर उनको अपोजीशन के दूसरे मेम्बर्स का समर्थन प्राप्त हो तो मुझको इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यही नहीं, सभी दोस्तों को याद होगा मैंने यह भी कहा कि एक-एक मेम्बर की भी पार्टियां हैं। उनमें से भी किसी साहब को खड़े होने का हक हासिल है बशर्ते कि अपोजीशन के दूसरे मेम्बर्स का उन्हें समर्थन प्राप्त

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो। लिहाजा यह मतलब निकालना और फिर आफेन्ड होना या नाराज हो जाना कि मैंने चार-पांच आदमियों की छोटी पार्टी बताई तो यह मेरे साथ ज्यादती होगी। मैंने साफ कहा कि अगर एक भी मेम्बर है किसी पार्टी का और अपोजीशन के दूसरे मेम्बर्स का उन्हें समर्थन प्राप्त है तो उन्हें खड़े होने और चुने जाने का पूरा हक हासिल है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

क्या चौधरी साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने किसी एक आदमी का नाम भी सजेस्ट किया हो ?

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय गर्ग साहब, चौधरी साहब के बताने के पहले आप को स्वयं यह सीखने की जरूरत है कि जब तक माननीय सदस्य बैठ न जायं, आपको इस प्रकार से पूछने का हक हासिल नहीं है।

चौधरी चरण सिंह--

मुझे गर्ग साहब की बात का जवाब देने में ऐतराज नहीं होता अगर मैं यह मानता कि गर्ग साहब का सम्बन्ध किसी दल से है। वह तो माननीय नेगी साहब ने मान लिया कि आप लोग विरोधी दल में शामिल नहीं हैं। गालिबन अगर गर्ग साहब का मतलब यह है कि मैंने जो नाम सजेस्ट किया उसको वापिस क्यों नहीं ले लिया तो माननीय त्रिपाठी जी को मालूम है कि इसमें मेरी मजबूरी थी और वह मजबूरी मैंने बतला भी दी थी। पहले मैं एक नाम और सोच रहा था लेकिन बाद में मैंने असरार साहब का नाम ही पेश किया। नाम वापिस लेने में मुझे दिक्कत थी, वरना मुझे कोई ऐतराज न होता और जिस प्रकार मैंने 1969 में सोशलिस्ट पार्टी के केन्डीडेट का नाम प्रपोज किया वैसे ही जनसंघ या कांग्रेस संगठन का हो सकता था।

(व्यवधान)

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--

क्या दिक्कत होती अगर चौधरी साहब नाम वापिस ले लेते।

चौधरी चरण सिंह--

एक जरा सी बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि हाउस को अधिकार है कि वह चाहे किसी को भी चुने और रूलिंग पार्टी का मतलब यह है कि उनकी मैजोरिटी, वरना उनकी सरकार न होती। अगर अपोजीशन की लार्जेस्ट पार्टी की ओपीनियन का लिहाज न करके अपने आप चूज करना चाहते हैं तो यह भी अधिकार है, लेकिन उस हालत में जो उपाध्यक्ष होगा फिर वह अपोजीशन का न होकर आपकी च्वाइस का होगा। यह सारी बातें सामने आ गई हैं। इस स्थिति का मैं और ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता। मैं आपके जरिये नेता सदन से यह अपील करूंगा कि डेमोक्रेटिक कन्वेन्शन को इस प्रकार मेजोरिटी के बल पर तोड़ा जायेगा तो यह ठीक नहीं है ? केवल वोटिंग से ही हाउस नहीं चलता। यह कन्वेन्शन बनते ही इसीलिये हैं और इसलिये हाउस आफ कामन्स में यहां तक है कि अपोजीशन और रूलिंग पार्टी में दोनों में बराबर का सम्बन्ध है--वह हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट कहलाता है और वह हिज मैजेस्टीज अपोजीशन कहलाती है। लेकिन कुछ माननीय सदस्य जो यहां नये आये हैं जिनको मालूम यह होता है कि

[चौधरी चरण सिंह]

पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस और पार्लियामेन्ट्री गवर्नमेंट जिन मुल्कों में चल रही है उनको उसका ज्ञान नहीं है। वह केवल यह जानते हैं कि उनकी इतनी तादाद है। बेशक आपकी तादाद ज्यादा है लेकिन लोगों ने चुनने में जो गलती की है उसके मुताबिक आप 32 प्रतिशत को रिप्रेजेन्ट करते हैं और हम 68 प्रतिशत को रिप्रेजेन्ट करते हैं। आप वोटिंग करके जीत सकते हैं लेकिन यह आपकी मोनोपोलिस्टिक टेन्डेन्सी होगी। इसका मतलब है कि आल पावर टु यू। 'नो'। मैं ज्यादा बहस में नहीं जाना चाहता (व्यवधान) आप गाली दे सकते हैं, आप शोर मचा सकते हैं, लेकिन यह कोई तरीका सदन को चलाने का न होगा।

श्री शिव कुमार पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, अभी चौधरी साहब जो बातें कह रहे थे मैं उनको ध्यान से सुन रहा था। चौधरी साहब का यह सुझाव था कि विरोधी दल का कोई आदमी उपाध्यक्ष बने उसे तसलीम किया गया। लेकिन इस सदन में जो विरोधी दलों में सबसे बड़ा विरोधी दल था उसका आदमी उपाध्यक्ष नहीं बनाया गया बल्कि जो तीसरे नम्बर पर पार्टी थी उसका सदस्य बनाया गया था। आज भी भारतीय लोक दल सबसे बड़ा दल है और उसके नेता चौधरी साहब नेता विरोधी दल हैं। स्वाभावतः छोटे दलों की यह भावना हो सकती है कि एक पद चौधरी साहब ने ले लिया है तो दूसरा उनको मिल जाय। अगर इस भावना से कोई छोटी पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी वाला खड़ा हो गया तो चौधरी साहब को नाराज नहीं होना चाहिये।

चौधरी साहब ने एक बात और कही।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

माननीय सदस्य सकुनी की तरह चालाक लग रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शिव कुमार पांडेय—

चौधरी साहब ने कहा कि त्रिपाठी जी जानते हैं कि हमारी कोई मजबूरी थी जिससे असरार साहब को खड़ा किया। वह अपनी मजबूरी हमको भी बतला देते तो हम उनका साथ देने को तैयार हैं। असरार साहब को पद न मिले तो क्या वह हमारे दल में आने वाले हैं अथवा वह चौधरी साहब से झगड़ा करने वाले हैं? अगर मजबूरी न्यायसंगत होगी तो हम उसे तसलीम करेंगे।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, बदकिस्मती से मैं इस सदन में जब से यह चर्चा शुरू हुई उपस्थित नहीं था, इसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं। अपर हाउस में आज मेरे कुछ प्रश्न थे। मैं उनका अनुग्रहीत हूं उन्होंने कहा कि वह सप्लीमेन्टरी नहीं रखेंगे और आधे में उन्होंने मुझे छोड़ दिया जिसके लिये मैं उनका आभारी हूं जिससे मैं यहां आ पाया। मैं समझता था कि यह मामला तय हो चुका है और वोट होता होगा। इसलिये मेरी उपस्थिति की भी जरूरत नहीं थी। आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय कि उपाध्यक्ष के पद को लेकर असेम्बली के चुनाव से कई बार आपके कक्ष में तथा घर पर बातचीत हुई और पिछली मर्तबा जब विधान सभा स्थगित हुई थी तो आखिरी दिन नेता विरोधी दल ने यह कहा था

कि इसको आज मुल्तवी कर दीजिये लेकिन बजट सेशन शुरू होने के पहले रोज ही उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिये। आपके कमरे में स्मरण होगा यह मांग की गयी थी तो मैंने भी कहा था कि चौधरी साहब यह बात ठीक कह रहे हैं। इतने दिनों से यह मामला लटक रहा है या झूलता रहा है यह तय हो जाना चाहिये। अब इस पर कल बहस हुई। चौधरी साहब ने कहा कि इसका समय बढ़ा दिया जाय। उन्होंने देखा नहीं है पढ़ा नहीं है वोट कैसे होगा, क्रास कैसे होगा और फिर सदस्यों को भी इसकी जानकारी नहीं होगी। मैंने उसे भी स्वीकार कर लिया। अब इस बीच में एक नोट आपका चौधरी साहब से मिल गया और उस नोट के आधार पर यह मांग की जा रही है कि आप किसी आदमी को घोषित कर दें। मैं आपके रास्ते में नहीं आना चाहूंगा और मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर चौधरी साहब के नोट के मुताबिक आप किसी आदमी की घोषणा कर दें। आपके अधिकारों की रक्षा और अधिकारों के उत्तरदायित्वपूर्ण निर्वहन कार्य में अगर मैं सहारा न बनूं तो इससे ज्यादा दोषपूर्ण बात मेरे लिये दूसरी कोई नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—

संविधान के अनुच्छेद 178 के अन्तर्गत यह है "राज्य की प्रत्येक विधान सभा यथासम्भव शीघ्र अपने दो सदस्यों को क्रमश: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी तथा जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब-तब सभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। चुनाव सभा के जरिये से होगा। चुनाव सभा करेगी। मेरा अधिकार नहीं है। मैं घोषणा नहीं कर सकता।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, आपने मेरी प्रतिक्रिया मांगी थी इसलिये मैंने निवेदन किया वरना मुझे अधिकार नहीं था। आप इसमें स्वयं सक्षम हैं।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि हम बहुमत में हैं इस वजह से जिसको हम चाहें उसे चुन सकते हैं या यह कहना कि जब तक हमारी नीयत साफ नहीं है तब तक चुनाव नहीं होगा तो इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि हम दो काम कर सकते थे। एक तो यह है कि विरोधी दलों में एकता नहीं है इसी बात पर हमारे दल में कुछ भाइयों ने यह प्रस्ताव किया कि क्यों न हम अपना आदमी उस पद के लिये रख दें। मैंने कहा, हम बिलकुल ऐसा नहीं करेंगे। इस पद पर विरोधी दल का ही आदमी होगा। अगर हमने यूज आफ मिजोरिटी इस्तेमाल की होती तो हम नंगा नृत्य कर सकते थे।

जहां तक कल की बात का सम्बन्ध है, मैंने कल स्पष्ट कहा था कि हम सदन के इस गरिमापूर्ण पद के लिये कोई ह्विप जारी नहीं करेंगे, जो जिसको चाहे मतदान कर सकता है। जैसा देखा जा रहा है कि जब नेताओं की बात सदस्यों पर नहीं चली तो मैं यही निवेदन करूंगा कि नेता लोग इस मतदान में हिस्सा ही न लें। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि सोशलिस्ट पार्टी के एक माननीय सदस्य खड़े हैं, मान्यवर, आप जानते हैं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिये कांग्रेस दल या किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिये हमें अपने हाई कमान्ड से परामर्श नहीं लेना पड़ता है। मिनिस्टरों के लिये परामर्श तो करनी पड़ती है लेकिन इन पदों के लिये परामर्श नहीं करनी पड़ती। सदन के अन्दर स्वयं सदन इसका निर्णय लेता है। इस मामले में सदन स्वतन्त्र रहा है। हमारे दल ने निश्चय किया कि हम अपना आदमी खड़ा नहीं करेंगे, सब वोट करने

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

के लिये आजाद हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि फिर इसको रोक दिया जाय और बात कर ली जाय। हम लोग इस सम्बन्ध में कितनी बार बात कर चुके हैं लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। कोई सौल्यूशन नहीं निकला है। चौधरी साहब कहते हैं कि उनकी मजबूरी है लेकिन उनकी मजबूरी का कुप्रभाव हम यहां पर क्यों डालें ?

एक सदस्य——

आपकी मजबूरी मन्त्रि-मन्डल बनाने की थी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ——

हमारी मजबूरी मन्त्रि-मन्डल को बचाने की थी लेकिन उसमें हमें विरोधी दल से परामर्श नहीं लेनी थी। मैं माननीय चौधरी साहब से, माननीय माधव बाबू से, माननीय रामपाल सिंह जी से, माननीय नियाज हसन खां जी से और माननीय भीखा लाल जी से अपील करूंगा कि वे दल के सदस्यों को दल मुक्त करके एक स्वतन्त्र वातावरण में अपने मन से चाहे जिसको वोट करें और वोट होने दें।

श्री अध्यक्ष——

चौधरी साहब आपको कुछ कहना है ?

चौधरी चरण सिंह——

मान्यवर, मैं बा-अदब यह अर्ज करना चाहता हूं माननीय सदन में जो कुछ फरमाया है वह कहां तक सही है और कहां तक गलत है उसके बावत कुछ नहीं कह सकता हूं। केवल इतना ही कहता हूं कि यह सदन अदालत नहीं है जिसमें पैटी लाइयर्स जिसमें छोटी-छोटी बातों पर दलीलें देते हैं। इस सदन को आप अदालत की तरह चलाना चाहते हैं तो वह मुनासिब नहीं है। लेकिन आपका अख्तियार है आप जो चाहें कहें। यह बात अब दुनियां से छिपी नहीं रह गई है। आज जो कुछ माननीय हरिकेवल और ओझा साहब ने बयान दिया उसके बाद जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से हमारे दल के 9 आदमी छोड़ कर गये और उन्हें आपने ग्रहण किया और इस सिलसिले में वह माफ करेंगे कि यह सब रूलिंग पार्टी का गेम है, उनका यह खिलौना है इसलिये हम इस मतदान में भाग नहीं लेंगे और इस सदन से वाकआउट करते हैं।

(चौधरी चरण सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(श्री नियाज हसन खां भी अपने दल के सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी——

मान्यवर, जब पहली बार उपाध्यक्ष के चुनाव का अवसर आया उस वक्त आपके सामने मैंने अपने विचार व्यक्त किये थे कि इन परिस्थितियों में मेरी पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि इस चुनाव में हम भाग नहीं लेंगे। यह परम्परा कायम रही है कि उपाध्यक्ष जो चुन कर आये वह निर्विवाद रहे, उनके प्रति दलों के लोगों के मन में किसी प्रकार की कटुता न रहे। वह ऐसा तो है नहीं कि धोती, कुर्ता फैलाते हुए आ गये। इसलिये मैं पुनः दोहराता हूं कि हम इस इलेक्शन में भाग नहीं लेना चाहते हैं इसलिये सदन का त्याग करते हैं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

मान्यवर, जब उन्होंने नाम वापस नहीं लिया तो उसका अर्थ है कि वह उम्मीदवार हैं ।

श्री अध्यक्ष —

नाम वापस नहीं लिया है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

तब मान्यवर, आप वोट करवा लें । मैं उत्तर प्रदेश की जनता को साक्षी रख कर कहना चाहता हूं कि यह विरोधी दल के लिए इसलिए माना गया क्योंकि वह कमजोर है अत : उनका डिप्टी स्पीकर होना चाहिये यह मर्यादा की बात है । हमें चौधरी साहब अपनी दिक्कत कभी नहीं बताते हैं कि उनकी क्या दुश्वारियां हैं । वह माधव बाबू से भरोसा करते हैं । सदन के नेता पर उनका विश्वास है नहीं, वह कहते हैं यह चाल है, हम कुछ चाल चल रहे हैं । मान्यवर, हमारी कोई चाल की बात नहीं है । न तो कांग्रेस पार्टी किसी दल को तोड़ना चाहती है और न किसी दल को मिटाना चाहती है । यहां पर जो दो-तीन नाम आपके पास आये हैं आप वोटिंग कर लें । जैसा मैंने कहा था आपको अधिकार है या चौधरी साहब बता दें । कोई नियम यदि होना हो । चौधरी साहब जो कहते हैं वही नियम है, तो वही स्वीकार कर लूंगा, हमें कौन उज्र हो सकता है ?

बाबा राम नाथ (जिला मैनपुरी) —

यह स्थिति ऐसी नाजुक और गम्भीर आ चुकी है, जो मैं समझता हूं, संसदीय पद्धति की जो मान्यतायें हैं उनके विरुद्ध जा रही है । मेरी यह समझ है जो नेता सदन है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं निभाया है । मेरे विचार से शायद अब भी मौका है कि माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता सदन मिलकर तय कर लें कि किसी तरह से यह गुत्थी सुलझाई जा सके, तो बहुत अच्छा होगा । भले ही इसके लिये हमें आज चुनाव टालना पड़े ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

मान्यवर, माननीय सदस्य ने मुझसे अपील की है कि मैं इस गुत्थी को सुलझाऊं । यदि वह इस समस्या का कोई निराकरण, हल का कोई रास्ता निर्दिष्ट कर दें, तो मैं उस पर चलूं । आज, मार्च के महीने से कितने महीने हो गये, यह मसला अटका रहा । हम सिर रगड़ कर मर गये, 10 मीटिंग्स हो गईं, विरोधी दल के नेता ने कहा कि हम एक नाम पेश करेंगे, स्पीकर साहब के घर पर भी कहा । हमने उनका धन्यवाद किया कि अच्छा है यह हो जाए, भले ही थोड़ी देर हो । फिर कई नाम पेश हुए । फिर कुछ नाम वापस हो गये, कुछ सुख में कुछ दुःख में । कुछ जोर में कुछ दवाव में । लेकिन हम तो इस पर विश्वास नहीं करते हैं, इस तरह से लोकतन्त्रीय परम्परा नहीं रहेगी । मेरी अपनी मान्यता है, और तदनुसार अपने दल के लोगों से स्पष्ट कह दिया है कि हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, जो मन में आये उसे वोट डाल सकता है । मैं चौधरी साहब की तरह बड़े दल को ही विरोधी दल न मानकर सभी दलों को विरोधी दल मानता हूं । यही तादाद से सब काम चलना है तो उधर की तादाद को ही क्यों माना जाये ? क्या जरूरत है कि हम अपने दल के लोगों से कहें कि तुम बहुमत में जरूर हो, लेकिन यह पद तुम्हें नहीं मिल सकता है ? तो इस थीसिस

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

को मैं मन्जूर नहीं कर सकता हूं कि बहुमत में जो विरोधी दल है, उसी का आदमी डिप्टी स्पीकर बने या बनाया जावे। वह अपने सतत प्रयास से बन जाये, तो ठीक है और हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन मेरे विचार से यह ठीक नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

कुछ चौधरी साहब के हाथ में भी होता तो वह स्वयं आपस में एक हो जाते। लेकिन वह तो अभी तक एक हुए नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं, अब तो चुनाव होना ही है, किन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। चुनाव में सबको शामिल होना चाहिये था, वह भी नहीं है। यदि आपकी राय हो, तो अब भाषण हों और 3 बजे ...

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मुझे कोई आपत्ति नहीं है। स्पीकर साहब की एक आज्ञा हो तो हमें शिरोधार्य करनी चाहिये। एक बजे और 3 बजे में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये, हमें क्या लोभ और लालच है? लोगों को बाहर जाना है, यही हमारा डर है।

श्री अध्यक्ष—

3 बजे निश्चित। तब तक भाषण शुरू हों। उम्मीद है तब तक कोई रास्ता निकलेगा, नहीं तो अप्रिय कर्त्तव्य करना पड़ेगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

स्पीकर साहब, यदि आप चाहते हैं कि दखल देकर कोई रास्ता निकालें तो इस समय सवा 12 बजे हैं। एक बजे तक के लिये इसे मुल्तवी किया जाय, 45 मिनट उसके लिये काफी है, ताकि 3 बजे की गाड़ी से लोग निकल सकें। इसके बाद कभी समय न बढ़ाया जाय, क्योंकि हमारे लोगों को बहुत कष्ट होता है।

श्री अध्यक्ष—

नहीं। उसके बाद चुनाव आरम्भ हो जायेगा। उसके बाद किसी भाषण की आवश्यकता नहीं रहेगी।

जब हम बैठेंगे इसके बाद एक बजे तो चुनाव की प्रक्रिया मैंने कल बता दी है, इधर और उधर बैलट ले कर जो बक्स है उसमें डालेंगे। तो अभी एक बजे तक के लिये सदन को स्थगित करना पड़ेगा।

एक बजे हम फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 12 बजकर 15 मिनट पर स्थगित हुआ। 1 बजे मार्शल ने सदन को सूचना दी कि श्री अध्यक्ष ने सदन को 1 बजकर 15 मिनट तक स्थगित कर दिया है। 1 बजकर 15 मिनट पर सदन की बैठक श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)।

श्री अध्यक्ष--

'अ' से 'ब' तक के माननीय सदस्य मेरे दाहिने हाथ के बूथ 1 पर और 'म' से 'ह' तक के माननीय सदस्य मेरे बायें हाथ के बूथ–2 पर जाकर शलाका-पत्र ले सकेंगे। प्रत्येक प्रस्ताव पर मतदान शलाका द्वारा किया जयेगा। जब दो से अधिक सदस्यों का नाम-निर्देशन हुआ हो और प्रथम शलाका में कोई अभ्यर्थी अन्य अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मतों के योग से अधिक मत प्राप्त न कर पाये तब उस अभ्यर्थी को, जिसने न्यूनतम मत प्राप्त किये हों, निर्वाचन से अपवर्जित कर दिया जायगा और पुन : शलाका की जायगी। प्रत्येक शलाका के अन्त में न्यूनतम मत पाने वाले अभ्यर्थी का नाम अपवर्जित कर दिया जायगा और ऐसा उस समय तक होता रहेगा जब तक कोई अभ्यर्थी शेष अभ्यर्थी के मतों की, या यथास्थिति शेष अभ्यर्थियों के मतों के योग की, अपेक्षा अधिक मत प्राप्त न कर ले। जब किसी शलाका में दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर संख्या में मत प्राप्त करें, तब पर्ची डाल कर यह निश्चित किया जायगा कि उप-नियम 5 के अन्तर्गत किस अभ्यर्थी को अपवर्जित किया जाये।

चूंकि नियमों के अन्तर्गत मतदान शलाका द्वारा होना है अत : उसके लिये शलाका-पत्र तैयार करा लिये गये हैं। माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये यह प्रबन्ध किया गया है कि शलाका-पत्र सभा मन्डप में बने बूथ द्वारा वितरित किये जायेंगे। और माननीय सदस्यों को वर्णानुक्रम से पुकारा जायेगा। 'अ' से 'ब' तक के माननीय सदस्य मेरे दाहिने हाथ के बूथ-1 पर और 'म' से 'ह' तक के माननीय सदस्य मेरे बायें हाथ के बूथ-2 पर जा कर शलाका-पत्र ले सकेंगे। शलाका-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त माननीय सदस्यगण अध्यक्ष मंच पर आकर शलाका-पत्र पर अपना मत अंकित करेंगे। माननीय सदस्य जिस अभ्यर्थी को अपना मत देना चाहें उनके नाम के आगे क्रास (×) का चिन्ह लगा कर मत देंगे। यह चिन्ह पंक्तियों के बीच में नाम के आगे जो स्थान उसके लिये है अंकित करना है न कि पंक्तियों पर। कोई माननीय सदस्य न तो शलाका-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे न कोई इस प्रकार का चिह्न बनायेंगे जिससे यह पता चल सके कि उक्त मत किसने दिया है। शलाका-पत्र पर चिन्ह अंकित करने के उपरान्त माननीय सदस्य मतपत्र को मोड़ कर बैलेट बाक्स जो सामने रखा है उसमें डाल कर अपना स्थान ग्रहण करेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र--

अब तो वह वोट में हैं नहीं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, काम नियमानुसार हो रहा है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह कहां का नियम है कि आपने कांस्टेबिल से कहलवा दिया कि 15 मिनट के बाद हाउस बैठेगा ?

श्री अध्यक्ष--

सब काम नियमानुसार हुआ है। नियम तो यह है कि आप इजाजत लेकर बोलें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

हम जानते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आपको मतदान से निकाला भी जा सकता है, अगर आपने कुछ कहा।

(इसके उपरान्त मतदान की प्रक्रिया आरम्भ हुई।)

(श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा का नाम पुकारने पर)

श्री अध्यक्ष--

और कोई माननीय सदस्य यहां हों या बाहर हों और वह वोट देना चाहते हों तो उनको मैं वोट देने के लिये आमन्त्रित करता हूं।

(कुछ समय पश्चात्)

अब मैं समझता हूं कि किसी को मत देना शेष नहीं रह गया है। 5 मिनट के बाद गणना शुरू होगी।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

पांच मिनट के लिये घंटी बजा दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

घंटी कोरम के लिये बजती है।

(5 मिनट समाप्त होने पर)

अब समय हो गया है अतः गिनती होगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

एक माननीय सदस्य और आ गये हैं।

श्री अध्यक्ष--

नहीं अब नहीं होगा, देर से आये हैं।

(गिनती समाप्त होने पर)

माननीय सदस्यगण, उपाध्यक्ष के निर्वाचन का परिणाम इस प्रकार है --

मतों की जो गणना हुई उसके अनुसार कुल मत पड़े 199। अवैध हुए 10। इसलिये वैध हुए मत 189। वैध मतों में श्री मुहम्मद असरार अहमद को पांच मत प्राप्त हुये। कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा को 184 मत प्राप्त हुये। (मेजों की थपथपाहट) मतों की गणना के फलस्वरूप कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।

माननीय सदस्यगण, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा का जन्म 1930 में कानपुर के मकरन्दपुर ग्राम में हुआ। वह एक गरीब परिवार के हैं। उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की है। यह 1962 में सर्वप्रथम इस विधान सभा के सदस्य चुने गये थे और अब इस बार चुने गये हैं। यह विशेष लोकप्रिय रहे हैं, सौम्य हैं एवं प्रजातान्त्रिक मान्यताओं में विश्वास रखते हैं, और इनका डाक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ सम्पर्क और सानिध्य भी रहा है।

मैं नेता सदन से और अन्य दलों के नेताओं से कहूंगा कि वे शिवनाथ सिंह कुशवाहा साहब को ढूंढ करके लायें।

(मुख्य मन्त्री, श्री गोविन्द सिंह नेगी, चौधरी रामपालसिंह यादव तथा बाबा रामनाथ, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा के पास गये और उनको अध्यक्ष के मंच तक लाये। श्री अध्यक्ष ने श्री कुशवाहा से हाथ मिलाया एवं अध्यक्षासन छोड़ कर श्री कुशवाहा को अध्यक्षासन पर पीठासीन कर दिया।)

(इस समय 2 बजकर 29 मिनट पर उपाध्यक्ष कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए)।

नव-निर्वाचित उपाध्यक्ष कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा को बधाई

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ——

यह हमारे लिये, इस सदन के लिए परम सौभाग्य की बात है कि आपके ऐसा संतुलित सौम्य, फूल से भी कोमल तथा विचारों में वज्र से भी कठोर हृदय वाला व्यक्ति आज हमारी विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित हुआ है। अपने सार्वजनिक जीवन में, जिन मूल्यों के लिये आप सदैव संघर्ष करते रहे हैं और शासक दल जिसका मैं स्वयं सदस्य हूं उसके विरोध में रहते हुये भी, उसके कारण कई बार जन संघर्ष चलाते हुये जिस संतुलन का सौम्य प्रकृति का और मानवता का आपने परिचय दिया है, वह सराहनीय है।

मान्यवर, इस कठिन जमाने में जब लोकतन्त्र को चुनौती है, जब लोकतन्त्र की मर्यादा निहित है, मूर्तिमान है, उसके संरक्षण के लिये और उसकी रक्षा के लिये हम सबका जो कर्त्तव्य है, उसके निर्वहन में आप से सहायता और सहयोग मिलेगा ऐसा मेरा विश्वास है। आपकी समाजवादी विचारधारा, लोकतांत्रिक विचारधारा, जो आज बहुत सारी प्रवृत्तियां हमारे राजनीतिक जीवन में व्याधा डाल रही हैं, उन मूल्यों को कमजोर कर रही हैं, उनको सशक्त बनाने में आपका आरक्षण मिलेगा। इधर के और उधर के बैठने वाले सदस्य धीरे-धीरे आपकी कर्त्तव्य-निष्ठा, और कर्त्तव्यपरायणता जिसका हमारे ऊपर गहरा प्रभाव है, उससे प्रभावित होकर हमारे सदन को समृद्ध बनाने के लिये जो उत्तरदायित्व आया है उसको पूरा करने के लिये आपसे प्रेरणा लेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आपको अपनी तथा अपने दल की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। भगवान आपके मार्ग में और आपके कार्य में सुनिश्चितता प्रदान करे। मेरी यही कामना है।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी ——

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह सदन का गौरव है कि इस कुर्सी पर वह व्यक्ति विराजमान है जिसका जीवन सार्वजनिक समस्याओं और संघर्षों में परिपूर्ण रहा है। इसलिये भी गौरव है कि आज वह व्यक्ति इस कुर्सी पर विराजमान है जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में शोषित जनता को अपने पीछे लिये हुये, अनेक यातनायें सही हैं, लाठियां खाई हैं और जेल में गये हैं।

माननीय, मैं आशा करता हूं कि जहां आप हमारे समाज के कमजोर तबके के लिये संघर्ष करते रहे हैं, उनकी आवाज भले ही उनका प्रतिनिधित्व इस माननीय सदन में कितनी ही कमजोर क्यों न हो लेकिन आपके संरक्षण में, उनके हितों के बारे में उनकी समस्याओं के बारे में, आप अवश्य अवसर प्रदान करेंगे ताकि सदन उन पर विचार कर सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दस ह नेगी]

मान्यवर, इतना ही नहीं आप अल्पमत के रक्षक हैं। इस सदन में दो किस्म के विरोध हैं। एक दक्षिण पन्थी और दूसरा वाम पन्थी। मैं समझता हूं कि इस सदन का जब आप कार्य संचालन करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि जो हर किस्म का विरोध है उसको अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अवसर मिले। जैसा कि आपको स्वयं मालूम है कि इस सदन में छोटे-छोटे दल हैं लेकिन उनका अखिल भारतीय स्वरूप है। मैं आशा करता हूं कि सदन में उनके हितों की रक्षा तथा उनके विचारों के आदान प्रदान करने का उनको अवसर देंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने दल की ओर से एक बार पुन: आपको बधाई देता हूं।

*बाबा राम नाथ—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपका पद एक भगवत स्वरूप है, विवेक और बुद्धि का पद है, गरिमा और साहस का पद है। हम लोग जो विरोधी पक्ष के हैं, सदैव यह चाहेंगे कि वह गरिमा और साहस और वह विवेक आप में मौजूद रहे और हर परिस्थिति में, चाहे उत्तेजना का समय हो, चाहे जो भी समय हो आप अपनी विज्ञता को न छोड़ेंगे और बुद्धि-विवेक को कायम रखेंगे। जो प्रजातन्त्र की परम्परा है उसको कायम रखने में आप कामयाब होंगे। इन शब्दों के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस पद पर रह कर प्रजातन्त्र की परम्पराओं को कायम रखने में सफल रहेंगे क्योंकि आपके स्वाभाव से और आपकी बुद्धि से जो कुछ भी हमें परिचय मिला है पास बैठने से, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पद को सम्भालने में आप पूर्ण सक्षम हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देता हूं।

*चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी जैसा कि आपका राजनैतिक जीवन स्वच्छ और समाजवादी विचारधारों में ओत-प्रोत रहा है वैसे ही आज उत्तर प्रदेश की इन विधान सभा के माननीय सदस्यों ने यह महसूस करके आपकी गरिमा के अनुसार ही आपको उस कुर्सी पर पदासीन किया है। मान्यवर, आप ऐसे योग्य और कर्मठ व्यक्ति को विधान सभा के माननीय सदस्यों ने इस उपाध्यक्ष पद के लिये उपयुक्त समझा है और इसी प्रेरणा को लेकर उस कुर्सी पर बैठाला है। आप से विश्वास है कि आप समाजवादी विचारों और जनतांत्रिक परम्पराओं को मजबूत करेंगे साथ ही साथ प्रतिक्रियावाद और ऐसी मनोवृत्ति के बारे में आप विधान सभा को अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित करने का मौक देंगे। मान्यवर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप दलगत भावना के परे होकर कार्य करेंगे क्योंकि यह ऐसा पद है कि जो इस विधान सभा और इस प्रदेश की जनता के लिये जनतन्त्र की रक्षा और समाजवाद की रक्षा के लिये काफी महत्व रखता है। मान्यवर, आप डा० लोहिया के अनुयायियों में से हैं। हमें यह विश्वास है कि आप समाजवादी और जनतान्त्रिक व्यवस्था की रक्षा करने के लिये इस विधान सभा में भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे? इन शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दधीचि सिंह (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके इस निर्वाचन पर मैं अपनी ओर से और जनसंघ दल की ओर से आपको बधाई देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मन्त्री जी तथा माननीय नेता गण, आप सबने मुझ पर विश्वास कर के इस विधान सभा के उपाध्यक्ष पद के लिये मुझे चुना, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। आपने जिस विश्वास के साथ मुझे इस उपाध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ इस पद का निर्वहन करूंगा और यह तब सम्भव है जब आप सबका भी सहयोग मुझे इस विधायन कार्यों में मिले। मुझे थोड़ा अनुभव होते हुए भी इन परिस्थितियों में जब कि यह एक नया पद है इसमें आप सब का सहयोग, माननीय सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है। इस चुनाव के दौरान में हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने मेरे बारे में तरह-तरह की बातें कहीं उसके बारे में मैं आज कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि मैं डा0 राम मनोहर लोहिया के सिद्धान्तों पर शुरू से अब तक चला हूं और मैंने कभी भी अपने राजनैतिक जीवन में कोई भी मुनाफे का सौदा नहीं किया।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

केवल इसी बार किया है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं उस स्थिति में नहीं जाना चाहता हूं।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

त्रिवेणी सहाय को ऐसा नहीं कहना चाहिये। यह गलत बात है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मेरे चुनाव में जो चीजें हुईं उन पर नहीं जाना चाहता हूं। अगर मेरे चरित्र के खिलाफ उंगली उठायें तो मैं अपने राजनैतिक जीवन से हट जाऊंगा। आपसे इस परिस्थिति में बहुत कहने की स्थिति में नहीं हूं। एक बार फिर मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और साथ ही जो परम्परा रही है, मैं आज से निर्दलीय सदस्य के रूप में कार्य करूंगा। एक बार फिर मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं।

(इस समय 2 बजकर 42 मिनट पर श्री अध्य पुनः पीठासीन हुये।)

लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर के भीतर अध्यापकों, छात्रों तथा छात्राओं की पी० ए० सी० पुलिस द्वारा पीटे जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में जो सूचनायें हैं उनको 24 तारीख को लूंगा। अब लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर के भीतर अध्यापकों, छात्रों तथा छात्राओं को पी0 ए0 सी0 पुलिस द्वारा मारे-पीटे जाने के विषय में मुख्य मन्त्री का वक्तव्य।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने कल कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन भी दिया था। आज जो वक्तव्य माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से दिया गया है उसमें जो चीजें हम लोगों ने कल उठायीं थी उनकी चर्चा नहीं है। उसमें केवल वाइस चान्सलर, प्राक्टर और जिसने एफ० आई० आर० लाज किया था उसकी चर्चा है। जो छात्रों और छात्राओं पर अत्याचार किया गया है और उनको पीटा गया उसकी चर्चा नहीं है। तो मान्यवर जो वक्तव्य है वह हमारे कार्य-स्थगन प्रस्ताव के अनुरूप नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

पहले आ जाये। कार्य-स्थान तो नहीं स्वीकार हुआ था। वक्तव्य आ जाये तो आप टीका, अलोचना जो चाहें कर सकते हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

कार्य-स्थगन के रूप में तो स्वीकार नहीं हुआ है लेकिन वक्तव्य के लिये तो स्वीकार किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

यह उचित है लेकिन वक्तव्य तो आ जाय, तब उसके बाद जो त्रुटियां आप देखें, वे बतादें उनको हम सुनेंगे।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

दिनांक 19 फरवरी 1975 की दोपहर को कतिपय छात्रों तथा कुछ अन्य लोगो ने लखनऊ विश्वविद्यालय के कैम्पस के अन्दर एक सभा की। सभा के बाद एकत्रित भीड़ कुलपति के कमरे की ओर बढ़ी। लगभग 400–500 व्यक्तियों ने उनके कमरे पर धावा बोल दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राक्टर द्वारा जिलाधिकारी को इस सम्बन्ध में भेजी गई सूचना का हिन्दी रूपान्तर निम्नानुसार है :—

"आज 12.30 से 1.30 बजे दिन के दौरान 400-500 छात्रों के एक समूह ने कुलपति के कमरे पर धावा बोल दिया, उनके कार्यालय में लूट-पाट की तथा कुलपति से धक्कम धुक्की की। कुलपति को उनके कमरे से जबरदस्ती बाहर लाया गया और विश्वविद्यालय के प्रांगण से उन्हें पैदल ही बाहर जाने पर मजबूर किया गया। इसी अवधि में स्वच्छन्दता पूर्वक छेड़-छाड़ की गई और कुलपति तथा प्रोक्टोरियल स्टाफ चोट खाने से बाल-बाल बच गये। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ने श्री विनोद त्रिपाठी को कुलपति नियुक्त कर दिया। दो अन्य विद्यार्थियों सर्व श्री राजकुमार जैसवाल तथा निर्मल सिंह ने प्रोक्टर का कार्य सम्हाल लिया। इस पूरी अवधि में छात्र बहुत ही हिंसात्मक थे।

इस घटना के पहले विद्यार्थियों ने कक्षाओं को जबरदस्ती बन्द करा दिया व अध्यापकों को कक्षायें छोड़ने के लिये धर्म की दिया। पोस्ट ग्रेजुएट ब्लाक की कक्षाओं में उन्होंने ताला लगा दिया व उसकी चाभी अपने साथ लेते गये। कई स्थानों पर खिड़कियों के शीशे तोड़ दिये। विद्यार्थियों के साथ बड़ी संख्या में बाहरी लोग भी सम्मिलित थे और विश्वविद्यालय का प्रांगण इस समय उपद्रवी लोगों के कब्जे में था।

उपरोक्त परिस्थितियों में प्रांगण के भीतर जान माल की सुरक्षा के लिये आप तुरन्त उचित कदम उठायें।"

इसी क्रम में जब कुलपति विश्वविद्यालय के बाहर निकले वहीं तैनात पुलिस से उन्होंने तथा रजिस्ट्रार कार्यालय के अभिलेखों की रक्षा हेतु निवेदन किया।

2—पुलिस पर भी उपद्रव-कारियों की ओर पथराव आरम्भ हो गया था। पुलिस ने न्यूनतम बल प्रयोग करके उग्र भीड़ को खदेड़ा। छः व्यक्तियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया।

3—इसी उपद्रव के दौरान कुछ उपद्रवकारियों ने विश्वविद्यालय के फाटक नं० 2 पर एक रोडवेज बस पर हमला किया। इस घटना के बारे में बस कन्डक्टर द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट निम्न प्रकार है :—

"श्रीमान थाना इन्चार्ज हसनगंज, लखनऊ, महोदय, सेवा में सविनय निवेदन यह है कि मैं आज बस नं० यू० एस० एम० 8740 फतेहपुर से 10.35 का ट्रिप लेकर कैसरबाग आ रहा था कि करीब 13.15 पर आज जब हम विश्वविद्यालय लखनऊ के सामने रोड पर बस लिये पहुंचा कि 200/250 लड़कों का समूह जोकि विश्वविद्यालय के थे मेरी गाड़ी को रोका और में रुक गया। लड़के बस पर पथराव करने लगे और कुछ कहते रहे कि बस को फूंक दो और मुझे भी मारा पीटा और मेरा चालान फार्म व कन्डक्टर शीट फाड़ डाला और हाथ में लिये हुए पैसों में से 17.20 पैसे छीन ले गये हैं। मेरे हाथ में 156.20 पैसे बच गये तथा ड्राइवर को मारा-पीटा, चोट आई, इस घटना को बस के यात्री व रास्ता चलने वालों ने देखा है और जिसका सामान छिन गया है उनको मिलने पर पेश करूंगा। लड़कों को हम लोगों ने खुद देखा है। सामने आने पर पहचान लूंगा, यात्री व राहगीरों के विरोध पर वह लोगों में से कुछ लड़के यह कह रहे थे कि विनोद व रामकुमार जयसवाल व लक्ष्मीकान्त व रंजीतसिंह व निर्मल सिंह भाग चलो नहीं तो पुलिस वगैरह आ जायगी। पुलिस को आते देखकर वह लोग विश्वविद्यालय के अंदर चले गये। अगर पुलिस वगैरह न आती तो वह लोग हमको मार डालते और गाड़ी जला देते। मेरी रिपोर्ट लिखकर फौरन कार्यवाही की जाय। बस वहीं खड़ी है। दिनांक 19–2–75 प्रार्थी आसिफ हुसैन पुत्र श्री मुतर्जा हुसेन कन्डक्टर।"

लेखक मोहम्मद इसहाक
19–2–75

इस उग्र भीड़ को भी पुलिस ने न्यूनतम बल प्रयोग करके खदेड़ा। उपद्रवकारी पथराव करते हुए भागे। कुछ व्यक्ति सड़क से तीस चालीस गज दूर पर स्थित प्राचीन इतिहास विभाग की कक्षाओं में घुस गये। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने के लिये उनका पीछा किया और कक्षाओं के बरामदे तक गई किन्तु उपद्रवकारी कक्षाओं के दूसरे दरवाजे से भाग गये।

4—इन घटनाओं के सिलसिले में प्राक्टर की सूचना के आधार पर एक रिपोर्ट धारा 147, 342, 336, 395, 427 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत चार नामजद व्यक्ति तथा चार सौ–पांच सौ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज हुई है। जिसकी विवेचना की जा रही है। इस अपराध के संबंध में चार व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं जिसमें तीन छात्र हैं और एक

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

बाहरी व्यक्ति हैं। इसके अलावा एक अभियोग धारा 347, 336, 427, 342, 332 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत 28 नामजद तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज हुआ है।

5—इन घटनाओं में एक सब इन्सपेक्टर, पांच कान्सटेबिल तथा छात्रों सहित छः अन्य व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं। इन छः व्यक्तियों में पांच लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं तथा एक बाहरी व्यक्ति है। जिलाधिकारी ने स्थानीय अस्पतालों से जांच करके इस बात की पुष्टि की है कि इन छः व्यक्तियों को छोड़ कर अन्य किसी व्यक्ति को वर्णित घटनाओं में घायल होने की कोई सूचना नहीं है।

6—कुलपति से प्राप्त सूचना के अनुसार लखनऊ विश्वविद्यालय दिनांक 20-2-75 से तीन दिन के लिये बन्द कर दिया गया है।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, अभी जैसा कि हमारे माननीय मालवीय जी ने कहा, सरकार के इस वक्तव्य को सुन कर मुझे बड़ा दुःख हुआ। मैं समझता था कि जब ऐसी घटनायें विश्वविद्यालय ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों पर हो जायं जहां चारों तरफ आग लगी हुई हो तो सरकार का यह बड़ा पुनीत कर्त्तव्य है कि जो तथ्य हों उन्हें सामने ला कर उनका निराकरण करे बहैसियत गवर्नमेन्ट के जिसके लिये दोनों पक्ष बराबर हैं। इस वक्तव्य प ने से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने सारा महत्व दिया है। यह भी नहीं कहा कि छात्र और छात्राओं ने चोटें खायी हैं। न यही कहा कि 44 नम्बर का जो हिस्ट्री का कमरा है उसमें क्या हुआ या जो छात्र कोठे पर चढ़ गये थे वह कहां से ढेले चला रहे थे और लूट रहे थे। कैसे यह पहचान गये कि ये लड़के थे। प्रश्न तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि तथ्य तो बिलकुल नहीं आये। एक ही तथ्य सामने लाये कि मुस्तफी साहब को वहां ले गये और बस कंडक्टर के बयान को बड़ा महत्व दिया। उसने कहा कि हम नाम नहीं जान सके, देखें तो पहचान सकते हैं। जिनको पहचानेंगे वह कौन होंगे? वही सारे लोग जो विरोध पक्ष के होंगे। कहते हैं कि लड़कों को हम लोगों ने खुद देखा है, सामने आने पर पहचान लूंगा। यह मैं अपनी इटैलिक्स जोड़ता हूं कि जिसको मुख्य मंत्री या सरकार या मुस्तफी साहब कहेंगे उन्हीं को पहचान लेंगे।

मैं वकील भी हूं। यह मैं अभिमान के लिये नहीं कहता हूं बल्कि चीज को सूक्ष्म दृष्टि से देखने के लिये कहता हूं। इनका कहना है कि कुछ लड़के कह रहे थे कि विनोद, राम कुमार जायसवाल व लक्ष्मीकान्त व रंजीत सिंह व निर्मल सिंह भाग चलो नहीं तो पकड़े जाओगे। यह कितना अविश्वसनीय है कि वह अपने साथियों का नाम लेते जायेंगे कि भागों, पुलिस आ रही है। यह सरकार जो इतनें बड़े प्रान्त की सरकार है वह इतने नीचे लेबिल तक आ जायगी और इतना जघन्य अपराध कर सकती है यह बड़े दुःख की बात है। होता यह है कि जब हम काम रोको प्रस्ताव लाते हैं तो सरकार ध्यान से उसे पढ़ती है और जो प्वाइन्ट्स रेज किये होते हैं उनका जवाब देती है। इन्होंने इसमें एक बार नहीं कहा कि 43, 44 और 41 नम्बर में जो घटना हुई वह गलत है, जो पुलिस ने घुस कर छात्राओं को मारा वह गलत है। मैं मानता हूं कि टैसिटली आपने इसको स्वीकार किया। आप सच्चाई के साथ सामने आयें ताकि इनका निराकरण हो सके। जिस पुलिस ने इस बुरी तरह से छात्राओं को मारा, एब्यूसिव लैंगुएज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस्तेमाल किया उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। (वक्तव्य की प्रति फाड़ते हुए) इस वक्तव्य को तो सचमुच फाड़ कर रख देना चाहिये। सरकार को ऐसे मामलों में निष्पक्षता बरतनी चाहिऐ। मैं मानता हूं विद्यार्थी गलती करते हैं। आप 397 लायें, रेस्टीकेट कीजिये, लेकिन इस नीचे लेविल तक सरकार उतर सकती है यह सोचा भी नहीं जा सकता। यह सब गवर्नमेन्ट से इन्सपायर्ड है। मान लिया उन्होंने बस लूट ली लेकिन यह बिल्कुल बनाया हुआ चार्ज है कि कुछ लड़के नाम ले कर कह रहे थे कि तुम भागों नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। ऐसी छोटी बात इस गवर्नमेन्ट की तरफ से आयी इससे कितना दुःख होता है। यह इन्हीं की करनी है जिसके कारण विश्वविद्यालय में आग लग रही है। शिक्षा जगत में क्या इनको एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसको वाइस चान्सलर बनाया जाता? वहां पर भी यह सरकार आई0 ए0 एस0 लोगों को भरना चाहती है। आज ब्योरोक्रेसी के ही बल पर यह सरकार चल रही है, पुलिस के बल पर यह सरकार चल रही है। यहां तक आरोप हैं कि मुस्तफी साहब शराब पीकर घूमते हैं। उन्हीं के कारण आज विश्वविद्यालय का सारा वातावरण गन्दा बना हुआ है। क्या डी0 आई0 आर0 और गुन्डा ऐक्ट के बल पर ही आप एडमिनिस्ट्रेशन को बदलेंगे। जो आज जवाब दिया गया है वह इतना गैर जिम्मेदाराना है कि ऐसा जवाब कभी सदन के पटल पर नहीं आया।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, इस वक्तव्य को पढ़ कर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी हेड कान्सटेबिल ने इसको बनाकर मंत्री जी को दे दिया हो..... (व्यवधान) मुझे विश्वास है कि इसकी भाषा यह नहीं होती अगर इसको माननीय बहुगुणा जी ने या माननीय नारायणदत्त जी ने तैयार किया होता। ऐसा लगता है ये लोग अपने अधिकारियों के गुलाम हो गये हैं। कल माननीय तिवारी जी ने इस घटना पर अपना अफसोस जाहिर किया था, आज अफसोस का एक शब्द भी नहीं निकला। इतनी बड़ी घटना हो गयी, महिलाओं तक के साथ अत्याचार हुआ, एक व्यक्ति का नाम बहुगुणा था, किसी ने उसको बहुगुणा कहा तो पी0 ए0 सी0 ने कहा कि इसको मारो। इसी तरह से अनेकों लड़कों को पी0 ए0 सी0 ने मारा। जो लड़के ऊपर के कमरों में अपने क्लास में पढ़ रहे थे, जो लायल थे, उनको सीढ़ी चढ़ कर पी0 ए0 सी0 के लोगों ने बुरी तरह से मारा। लड़कियां और लड़के भाग कर चिल्लाने लगे। जो भी अध्यापक बचाने के लिये आये उनको भी बेरहमी के साथ मारा।

मान्यवर, डालीगंज के दो दरोगा थे जो यह कह रहे थे कि यहां पर किसी भी छात्र को छोड़ा नहीं जायेगा, अभी तो थोड़े लड़कों की पिटाई की है, एक-एक छात्र की पिटाई की जायेगी। किसी को बिना मारे नहीं छोड़ेंगे। और जब तक मैं डालीगंज थाने में रहूंगा, यह पिटाई चलती रहेगी। बहुगुणा जी हों, चाहे दूसरे इस सरकार के मंत्री हों, वे इनको ठीक नहीं कर सकते हैं, इनको तो हम ठीक कर सकते हैं, इस तरह की बोली बोली जाती है। यह मैं अपने बचाव के लिये नहीं कहता हूं बल्कि मैं सत्ता पक्ष के उन सभी लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार श्री इस्तफा हुसैन जो इस मंत्रिमंडल के सदस्य थे वे और मैं आपस में बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस बहुत ही संजीदगी से काम कर रही है, करती है और बहुत अच्छी है। लेकिन उसके बाद जब वे मंत्रिमंडल से निकाल दिये गये तो पुलिस वालों ने थाने में खूब कस कर उनकी पिटाई की और जब मैं उनसे अस्पताल में मिला तो उन्होंने

[श्री मधुकर दिघे]

कहा कि ऐसी पुलिस के द्वारा कोई भी देश बर्बाद ही नहीं हो जायेगा बल्कि कोई प्रजातंत्र, कोई इन्सान इस देश में महफूज रह ही नहीं जायेगा।

जब उनकी खूब पिटाई हुई तब उन्होंने ऐसा कहा था। मैं उधर के बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हम तो मार खाते-खाते उसके आदी हो गये हैं, हमने लातें खायी हैं, मार खायी है, डंडे भी खाये हैं लेकिन आप याद रखें कि जब उधर डंडे पड़ने लगेंगे तब हमारी बात आपको याद आयेगी। जैसा कि माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा– इस तरह का वक्तव्य तो इस माननीय सदन का अपमान है। यह आपको भी शोभा नहीं देता और यह इस सदन की गरिमा के भी लायक नहीं है। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि इसमें तमाम उन बातों का कहीं भी जिक्र नहीं है जो हमने कहीं थीं। इसमें कहा गया है कि कुलपति जब बाहर आ गये तब उन्होंने कह दिया कि जो जी चाहे करो। क्या इस तरह का व्यक्ति कुलपति हो सकता है। आपने इस तरह के रद्दी किस्म के व्यक्तियों को कुलपति बना दिया है। मैं तो विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नहीं बन सकता हूं लेकिन इनसे अच्छा ही रहूंगा। बहुत टीका टिप्पणी न कीजिये। उसमें बहुत से अच्छे लोग हैं। मैं आपको एक पुराना किस्सा बतला देता हूं। मैंने कभी विश्वविद्यालय में पढ़ा तो नहीं है लेकिन माननीय बहुगुणा जी, माननीय तिवारी जी व दूसरे दोस्तों से मिलने के लिये वहां जाता रहा था और उनके साथ बैठ कर खाना भी खाता था। मुझे पुरानी बात याद है कि एक बार जब डाक्टर अमरनाथ झा को विद्यार्थियों ने जूतों की माला पहनायी तो उन्होंने उनको इम्ब्रेस कर लिया, सब से गले से मिले। वैसे वाइस चांसलर हो जाय तो विश्वविद्यालय स्वच्छ हो जाय। शराब पी कर और मुंह में सिगरेट लगा कर लेक्चर देने से, भाषण देने से देश चलने वाला नहीं है। जब तक वे अपने चरित्र, विवेक और ज्ञान को उस लायक नहीं बनाते, तब तक इस देश के नौजवानों को शिक्षा देने के अधिकारी वे नहीं हो सकते और उनकी गरिमा के लिये यह शोभा भी नहीं देता।

अध्यक्ष महोदय, आपका ही उदाहरण है कि आपने इन्कार कर दिया कि पुलिस इस परिसर में नहीं घुस सकती। जो वाइस चान्सलर पुलिस की मदद लेता है, विद्यार्थियों को खदेड़ने में उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। मैं तो कहता हूं इस देश में वही वाइस चांसलर होना चाहिये जो अपनी जान की परवाह न करे और जरूरत पड़े तो अपनी जान भी दे दे लेकिन पुलिस को विश्वविद्यालय के परिसर में घुसने की इजाजत न दे। अगर इस देश को बनाने की थोड़ी भी इच्छा बाकी है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने जो दुख का इजहार किया है उसके ऊपर जरा ठन्ढे दिमाग से विचार कीजिये और इस तरह के वक्तव्य लाने की आगे कभी भी कोशिश मत करना दोस्तो। आज सारे देश की परिस्थिति बिगड़ी हुई है। जहां तक गुन्डों की बात है, बाहरी गुन्डों को कौन बुलाता है? बहुगुणा जी आपका वरद हस्त और उनके ऊपर रहेगा तब तो गुंडे वहां जायेंगे ही। गोरखपुर विश्वविद्यालय में गुंडे जाते हैं और लड़कों को क्लास से खींच कर छूरे मारते हैं और फिर भी पुलिस आकर उनकी पिटाई नहीं करती है। जब आप गुन्डों को आश्रय देंगे, उनको मदद देंगे, उनको पैसे देंगे तो और क्या होगा। उनकी वाहवाही करेंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि इस देश का नौजवान इस देश के लिये कोई काम करे। क्या स्थिति पैदा कर रहे हैं। आप जिस देश में भगत सिंह, चन्द्र शेखर आजाद जैसे शहीदों के जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में अपनी जान दे दी है, उनके

परिवार के लोगों की कीमत घटेगी और बंधू सिंह जैसे वीर को फांसी दिलाने वाले लोगों के साथ आप कुर्सी लगाकर बैठेंगे तो कोई नौजवान हिन्दुस्तान में शहीद भगत सिंह और चन्द्रशेखर आजाद बनने की कोशिश नहीं करेगा। चाहे आप कितनी ही कोशिश क्यों न करें।

मैं कहना चाहता हूं कि आज आप प्रदेश में क्या स्थिति पैदा कर रहे हैं। हम सबने आन्दोलन में कार्य किये हैं लेकिन कभी हमारे मां–बाप ने और लोगों ने नहीं कहा कि लड़के बिगड़ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि लड़के बिगड़ रहे हैं। लड़कों को आप बिगाड़ रहे हैं लड़के तो सही रास्ते पर हैं। आज अमेरिका में विद्यार्थी वह मांगे नहीं करते, कभी नहीं कहते कि कमरे सस्ते करो, पुस्तकें सस्ती करो, फीस कम करो। यह बातें वह कभी नहीं उठाते हैं। अमेरिका के विद्यार्थी कहते हैं कि अगर मेरा क्लास 7वीं मंजिल पर है तो लिफ्ट से मेरी कार सातवीं मंजिल पर मेरे क्लास के कमरे के सामने खड़ी करो, नहीं तो हम क्लास रूम में नहीं जायेंगे। हम तो कुछ करते नहीं, केवल नकलची हैं। किताबें आप सस्ती करेंगे नहीं, कमरे आप सस्ते दिलायेंगे नहीं, फीस आप कम करेंगे नहीं तो क्या स्थिति होगी। हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं पर वह नहीं कर सके कि किताबें सस्ती की जायं। आज हमारे देश में होना चाहिये कि शहरों में रहने के लिये कमरे सस्ते उनको दिलाये जायं, आप यह करते नहीं और कहते हैं कि उन्होंने लट्टू तोड़ दिये। आप तो 100–100 बल्बों की रोशनी में बैठकर अध्ययन करेंगे। अपने मकान में बिजली के पंखे लगायेंगे, अपने मकान को शानदार बनायेंगे वह लट्टू तो तोड़ेंगे ही क्योंकि वह ढिबरी से जिसके लिये उनको तेल भी नहीं मिलता है, पढ़ेंगे, अंधकार में पढ़ेंगे, विद्याध्यन करेंगे तो वह लट्टू कैसे नहीं तोड़ेंगे। आप भी थाली फेंके होंगे जब आपकी थाली में लड्डू नहीं आया होगा। मैं भी थाली फेंक देता था जब मां लड्डू थाली में नहीं लाती थी। क्योंकि मैं सोचता था कि लड्डू आयेंगे। लड़के भी यही चाहते हैं कि उनको पढ़ने के लिये सुविधा मिले, उनको सस्ती किताबें मिलें। रहने के लिये शहर में सस्ते कमरे मिलें। इन सब बातों का उनके दिमाग पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है।

मेरे दोस्तों, मैं अपने माननीय दोस्तों से कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्त समझेंगे, माननीय नेता सदन समझेंगे, क्योंकि वह उनके नेता रह चुके हैं। मैं तो मजदूरों का नेता रहा हूं। अगर वह समझेंगे तो यह स्थिति कभी नहीं पैदा होगी। मैं तो कहना चाहता हूं कि दूसरों की तरफ इशारा करके आप अपने मुंह की कालिख न छोपिये। इसीलिये मैं अपना नाम लेकर कह रहा हूं, मैं अपने को अलग नहीं कर रहा हूं, मेरा कहना है कि इस वक्तव्य को वापस लेना चाहिये। मैं पुनः कह रहा हूं कि इसको वापस लें। मैं तो अच्छी भाषा जानता नहीं, मेरा भाषा ज्ञान बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मुख्य मंत्री जी बहुत अच्छी आप भाषा जानते हैं, आप विद्यार्थियों के नेता रहे हैं, इसलिये मेरा कहना है कि इस तरीके का वक्तव्य देकर आप अपनी बेइज्जती न करिये। मैं कहना चाहता हूं कि यह वक्तव्य वापस लिया जाय और दूसरा वक्तव्य दिया जाय तथा खेद प्रकाश किया जाय जो इसमें नहीं किया गया है। और इस पर दो घंटे की चर्चा करने के लिये केवल अवसर दिया जाय इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

बयान पर चर्चा तो आप कर ही रहे हैं तो आप समय क्यों चाहते हैं ?

श्री मधुकर दिघे—

इस पर अलग से 2 घंटे का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष--

यह ठीक है जब समय आयेगा तब भाषण दीजिएगा। आज बयान रख दिया है। जब तथ्य आ जायेंगे तो पूरक बयान होगा।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

पूरक बयान नहीं देना है।

श्री अध्यक्ष--

25 तारीख को इस पर डेढ़ या दो घंटे का समय दे देंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)--

25 को 2 घंटे की चर्चा का समय दें। लखनऊ विश्वविद्यालय में लाठी चार्ज तो हुआ ही है और दूसरी जगहों पर भी इसकी आग भभक रही है। परन्तु आज समय दे दें।

श्री अध्यक्ष--

25 को 5 बजे के बाद माननीय सदस्य जाने की जल्दी में रहेंगे क्योंकि 26 को छुट्टी है। वैसे जैसा सोचें। आज समय नहीं देंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आपके पास दो एडजर्नमेन्ट मोशन हैं। कानपुर के संबंध में जो होगा उस चर्चा में दोनों को शामिल कर दें। यदि सम्भव हो तो, क्योंकि स्थिति बड़ी गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष--

यह उसी के समान है। दोनों को मिलाने पर गड़बड़ हो सकता है। लखनऊ के बारे में चर्चा कर लें। आप इसको सोच लें। 25 को मौका तो देंगे ही।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

छात्र गिरफ्तार हैं उसके संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है और छात्रों की गिरफ्तारी बराबर जारी है ?

श्री अध्यक्ष--

आपके नेताओं ने तीन बातों पर ध्यान आकृष्ट किया था। कार्यवाही के लिये हम बाध्य तो नहीं कर सकते हैं। आपको बात कहने का मौका दे दिया।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, जो वक्तव्य दिया है उस पर प्रश्न पूछने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

वक्तव्य पर चर्चा कर सकते हैं। श्री काशी नाथ मिश्रा जी नहीं हैं नहीं तो इस पर एतराज करते।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, चर्चा जब तक नहीं हो जाती है तबतक 23 को 3 दिन पूरे हो जायेंगे। इसलिये विश्वविद्यालय खुलेगा कि नहीं। सरकार अभी कुछ नहीं कह रही है। हम चाहते हैं कि सरकार को यहां पर कुछ कहने दिया जाय कि 3 दिन के बाद विश्वविद्यालय खुलेगा कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

हमको अधिकार नहीं है कि हम पकड़ कर कहलवा लें। आपकी मांग जो है उसको मानें या न मानें, लेकिन हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

3 दिन के बाद विश्वविद्यालय खुलेगा कि नहीं इसका जवाब दे दें ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जो रिपोर्ट मुख्य मंत्री जी ने प ी है उसमें चार-पांच लड़कों के अलावा यह कहा है कि उनके साथ पांच सौ-छः सौ छात्र थे जिनका इसमें नाम नहीं है। विश्वविद्यालय के छात्रों की गिरफ्तारी जारी है और इनको भी गिरफ्तार किया जायगा। अब कोई गिरफ्तारी नहीं होगी इसका आश्वासन दें और जो शतरुद्ध प्रकाश जी ने कहा है उसका भी उत्तर दे दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं माननीय सदस्य की आकांक्षा को समझता हूं कि विश्वविद्यालय खोला जाय। लेकिन विश्वविद्यालय तीन दिन बन्द करने का निर्णय कुलपति जी ने लिया था और वही यह भी निर्णय करेंगे कि कब खोला जाय।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

विश्वविद्यालय में पुलिस जायगी ला एन्ड आर्डर मेन्टेन करने के लिये तो सरकार की इजाजत से जायगी। इसका क्या असर पड़ेगा वहां ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

पुलिस विश्वविद्यालय कैम्पस के अन्दर गयी तो कुलपति और प्राक्टर के लिखित निवेदन पर गयी।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

क्या कोई ऐसा लिखित पत्र है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

तो उसे सदन में पेश कर दें।

श्री मधुकर दिघे--

मंत्री जी भी मानते हैं कि सिचुएशन ईज करनी है। अगर सिचुएशन ईज करनी है तो जो विद्यार्थी गिरफ्तार हुए हैं उनको छोड़ दें और अब वहां पुलिस न भेजें और विश्वविद्यालय खुल जाय तो इस पर अपनी नीति स्पष्ट कर दें। इसमें आपको क्या दिक्कत है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं सम्मानित सदस्य की आकांक्षा से भली भांति सहमत हूं कि स्थिति सामान्य हो। इसमें हम उनका भी सहयोग चाहते हैं कि कृपापूर्वक अशांतपूर्ण स्थिति को शांतमय बनाने में अपने प्रभाव का प्रयोग करें। छात्र अपने ही छात्र हैं और जो नई पीढ़ी उभर रही है उसके प्रतिनिधि हैं। उनपर कोई दुर्घटना हो तो इसमे कोई सहमत नहीं होगा. . . . .

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

कुलपति जी ने जो लिखकर भेजा है उसको पढ़ कर सुना दें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

आप तो छात्रों को पिटवा रहे हैं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

कांग्रेस का उम्मीदवार हारा और अपोजीशन पार्टी का उम्मीदवार जीता। जो भी वह जनतांत्रिक तरीके से कार्य करेगा तो पुलिस वहां जायेगी और छात्रों को पीटेगी। यह कोई तरीका नहीं है। जो वहां बुद्धिजीवी वर्ग है, छात्र नेता है, अध्यापक हैं उनको बैठाकर बात करें और समस्याओं का समाधान करें। समस्या का समाधान थानेदार या पी0 ए0 सी0 के जवानों को भेज कर नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं कि अभी मंत्री जी खड़े होकर कह रहे थे कि कुलपति ने पुलिस भेजने के लिये लिखा तो क्या ऐसा लिखित में है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं वह बहुत रचनात्मक हैं और भविष्य में उन पर विचार किया जायगा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

वी0 सी0 ने पुलिस एड लेने के लिये जो रिटिन रूप में दिया उसे सदन के समक्ष रखें। मुझे जहां तक जानकारी है वह यह कि कुलपति ने लिखित रूप में कोई मदद नहीं मांगी।

श्री अध्यक्ष--

चर्चा तो 25 तारीख को होगी। अगर लिखित कोई चीज है तो बतला दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जो मूल वक्तव्य है अगर माननीय सदस्य उसको देखें तो मालूम होगा कि उसके पहले ही प्राक्टर ने जो जिलाधिकारी के नाम.....

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

वी0 सी0 को पुलिस मांगने का अधिकार है। प्राक्टर बिना वी0 सी0 के कैसे बुला रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

तो प्राक्टर और वी0 सी0 का अन्दरूनी मामला है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

क्या लिखित रूप में कोई भी मांग वी0 सी0 ने की ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा--

वी0 सी0 ने प्रोक्टर की लिखित रिपोर्ट को अपने लेटर के साथ फारवर्ड किया है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

पुलिस एन्ट्रेंस के बाद कहा या पहले ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

पुलिस एन्ट्रेंस के पहले। जामुन एन्क्लेव के पास से जो रास्ता है वहां तक जब वी0 सी0 को ढकेलते हुये लड़के ले आये तो उस स्थान से जो रास्ता हनुमान सेतु को जाता है तो वहां पर पुलिस थी। उन्होंने उनसे कहा कि जान और माल का खतरा है और आप दखल दीजिये।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

जब वी० सी० ने कहा उससे पहले ही पुलिस एन्ट्रेंस कर चुकी थी। आपके वक्तव्य में लिखा हुआ है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैंने मुख्य मंत्री जी के खिलाफ.....

श्री अध्यक्ष--

वह 24 तारीख को आयेगा।

14 मार्च, 1973 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर में दी गई गलत सूचना के लिये दोषी अधिकारी के विरूद्ध की गई कार्यवाही के सम्बन्धमें सूचना

शिक्षा मंत्री श्री (राम जी लाल सहायक)--

मान्यवर, दिनांक 14 मार्च, 1973, को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अनपूरक प्रश्नों का संशोधित एवं सही उत्तर दिनांक 26 अप्रैल, 1973 को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 17 व 18 के उत्तर में दे दिया गया था। दिनांक 14 मार्च, 1973 को श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अनपूरक प्रश्नों का उत्तर अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, झांसी से अस्पष्ट एवं भ्रमपूर्ण सूचना प्राप्त होने के कारण सदन में सही रूप में नहीं दिया जा सका था। अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, झाँसी की चरित्र पंजिका में इस असावधानी का उल्लेख कर दिया गया है तथा उन्हें भविष्य में पर्याप्त सतर्क रहने हेतु चेतावनी भी दे दी गई है।

उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस (नकद संदाय) विधेयक, 1975

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस (नकद संदाय) विधेयक, 1975, को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की आज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस (नकद संदाय) विधेयक, 1975, को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गयाऔर स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस (नकद संकाय), विधेयक, 1975, को पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पष्ठ. 338 पर।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

कार्य-स्थगन के सम्बन्ध में श्री मोती लाल देहलवी का एक प्रस्ताव आया है कानपुर के मामले में। मैं समझता हूं कि इसको अलग कर दिया जाय। लखनऊ विश्वविद्यालय और कानपुर विश्वविद्यालय दोनों का मामला अगर अलग-अलग रहे तो ठीक है।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)--

क्या यह एक साथ नहीं आयेगा ?

श्री अध्यक्ष--

एक साथ आये या नहीं आये इसको बाद में देखा जायगा।

श्री मुलायम सिंह यादव--

लखनऊ विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के साथ जो जुल्म हुआ उसके विरोध में कानपुर के छात्र शान्ति पूर्वक प्रदर्शन करने जा रहे थे। उन्होंने गुरुनारायण इंटर कालेज में जाकर शान्ति पूर्वक सभा की और सभा करते हुए वहां एडीशनल जिला मैजिस्ट्रेट, श्री राम रतन राय पी० ए० सी० के सिपाही तथा पुलिस अधीक्षक पहुंच गये और सभा करते हुए लड़कों को डंडों से मारना शुरू कर दिया। उस समय वहां पथराव नहीं हुआ, किसी किस्म का गाली गलौज नहीं हुआ। वी० एस० ए० डी० कालेज छात्र संघ के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि छात्र कलेक्टर के बंगले पर शान्तिपूर्वक प्रदर्शन न करने पायें। इस तरह से लखनऊ विश्वविद्यालय का ही मामला नहीं है। सारे देश में यह मामला होने वाला है।

श्री अध्यक्ष--

होने वाला है, हुआ नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

यह इच्छा है कि बकायदा शान्तिपूर्वक विद्यालय चलें।

श्री अध्यक्ष--

आपको मौका मिलेगा राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के अवसर पर यह सब कहने का।

श्री मुलायम सिंह यादव--

यह सब झूठ है। आपको सूचना नहीं है। आपके पास तमाम तरीके जानने के हैं। दैनिक जागरण देख लें, पहले पेज पर ही छपा है। मेरा निवेदन है कि इसे आप स्वीकार कर लें और चर्चा में इसे शामिल कर लें।

फैजाबाद जिले में भालोद के कार्यकर्त्ताओं की पिटाई तथा श्री राजनारायण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जानकारी

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

फैजाबाद में जेल कांड घटित हुआ है और राज नारायण जी को गिरफ्तार किया गया है उसके सम्बन्ध में भी चर्चा स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

इस विषय में चौधरी चरण सिंह जी ने फैजाबाद के मामले में पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। उससे ज्यादा आपको क्या कहना है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

एक विधायक भारतीय क्रान्ति दल की ओर से चुन कर आए थे। वह कांग्रेस में चले गये थे लिहाजा एक झूठी रिपोर्ट उनकी ओर से लिखाई गयी कि भालोद के अर्थ कार्यताओं एवं सर्वश्री माता प्रसाद, श्रीराम द्विवेदी जी ने डकैती डाली और 500 रुपये छीन लिये। लिहाजा उनको जेल में भेज दिया गया। 17 तारीख को भालोद के कार्यकर्ताओं की निर्ममतापूर्वक जेल में पिटाई की गयी। जेल के अन्दर हम लोगों ने निरीक्षण किया था। चादर पर खून के धब्बे पाये गये थे फैजाबाद से लौटते समय राजनारायण जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके ऊपर सरकार की ओर से कोई स्पष्टीरण भी नहीं आया है। इसलिये इस विषय को कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में अवश्य ही स्वीकार कर लिया जाय ताकि इस विषय पर चर्चा की जा सके क्योंकर भालोद के कार्यकर्ताओं को जेल के अन्दर पिटाई की गयी। इसकी न न्यायिक जांच ही की गयी है और न सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण आया है। जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी की गयी है उसकी रिपोर्ट कदाचित् सरकार के पास आई है और जेल के अन्दर जो कांड हुआ उसकी शायद मैजिस्ट्रेट ने भर्त्सना की है। कदाचित् मुख्य मंत्री जी का इसमें हाथ है क्योंकि 18 तारीख को मुख्य मंत्री महोदय फैजाबाद में पधारे थे और ठीक एक दिन पहले यानी 17 तारीख को यह घटना कराई गयी कि भालोद के कार्यकर्ताओं की पिटाई की गयी और राज नारायण जी को अनर्गल गिरफ्तार किया गया। इसलिये इस विषय को चर्चा के लिये अवश्य स्वीकार किया जाय।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--

एक आक्षेप किया गया है.....

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

आक्षेप कोई नहीं है। मैं स्वयं फैजाबाद जेल में 26 जनवरी को गया था और 2 फरवरी को एक पत्र मुख्य मंत्री को लिखा था इस सम्बन्ध में...,...

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

तो क्या किया जाय ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मैं आपसे नहीं कह रहा हूं। अध्यक्ष जी से कह रहा हूं। 7 फरवरी के पत्र में इन सारी बातों का मैंने जिक्र किया है। उसमें भी इन सारी बातों की चर्चा की गई है लेकिन आज तक सरकार की तरफ से उस सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष--

फैजाबाद के बारे में जो आपके दल की समिति है, उसकी जो सिफारिशें हैं उनको माननीय चौधरी साहब ने अपने भाषण में बता दिया है। उसका जवाब जब सरकार को देना होगा वह देगी। वह मामला तो पहले ही उठ चुका है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, इस प्रस्ताव के दो भाग हैं। एक तो वहां पर पुलिस द्वारा निर्मम पिटाई की गई है वह और दूसरा राजनारायण जी की गिरफ्तारी। क्या अनसन करने वाले किसी भी सदस्य को इस तरह से गिरफ्तार किया जाता है ? इसलिये किया गया कि वे फैजाबाद से लखनऊ आ रहे थे और रेल से उतरते ही उन्हें गिरफ्तार किया गया ? क्या इसकी कानूनी जांच आपने की है ?

श्री अध्यक्ष--

कानूनी कार्यवाही का निर्णय अन्यत्र होता है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

जहां तक परसनल लिबर्टी का सवाल है उसके लिये तो हाईकोर्ट के दरवाजे खुले हैं लेकिन यहां पर तो प्रजातांत्रिक पद्धतियों का प्रश्न है और विरोधी दलों का सवाल है। अत: आप इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष--

आप इसको राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कह सकते हैं और यह प्रश्न उठ चुका है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

यह ठीक है लेकिन यदि कार्यवाही उस पर नहीं होगी तो वह फिर उठेगा।

श्री अध्यक्ष--

आप बहुमत को कैसे बाध्य कर सकते हैं कि यह कार्यवाही करें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

हम लोग तर्क तो दे सकते हैं नियमत: और कानूनन अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं। यही प्रजातांत्रिक तरीका है।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं मानता हूं कि ठीक कह रहे हैं। पहले जो कार्य स्थगन प्रस्ताव आया था उसमें आपने कहा था कि राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव पर नेता विरोधी दल बोलेंगे लेकिन यदि सत्ता पक्ष की तरफ से उसका कोई अधिकृत वक्तव्य नहीं आयेगा तो उस स्थिति में क्या आप पुन इस पर विचार करेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अगर हमारा उत्तर नहीं आया तब ?

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

विधान परिषद् में यह प्रस्ताव स्वीकार हो चुका है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, माननीय मालवीय जी ने एक लांछन लगाया है। उनका एक गरिमापूर्ण स्थान है और उसी को दृष्टि में रखकर ही उन्होंने ऐसा कहा होगा, मैं ऐसा मानता हूं। जो बात उन्होंने बतायी वह बिलकुल पोलिटिकली मोटिवेटेड है और असत्य है। सच बात यह है कि मैं अयोध्या में मानस चतुश्शती समारोह के सिलसिले में गया था। वहां पर एक माननीय

सदस्य ने कहा कि जेल में ये-ये बातें हुई हैं। उन्होंने मुझे एक प्रार्थना-पत्र भी दिया। मैं जैसे ही वहां से लौटा तो मैंने आई0 जी0 प्रिजन्स को तत्काल वहां भेजा जो कि इसके अधिकारी हैं। जिनको कि सर्वाधिकार प्राप्त हैं कि इन सब चीजों की जांच कर सकते हैं। मिनिस्टर भी सीधे जांच के आदेश नहीं दे सकते। तो इस सिलसिले में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय मालवीय जी ने जो कृपा मेरे ऊपर की है वह बिलकुल सत्य से परे है। कारागार महानिरीक्षक ने वहां जाकर कुछ लोगों को मुअत्तल किया और वे अपनी कार्यवाही कर रहे हैं। जहां तक उन मुद्दों का प्रश्न है जो चौधरी साहब ने उठाये हैं, उनके बारे में जवाब मैं उस दिन दूंगा जिस दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका मिलेगा। उस सम्बन्ध में जो जानकारी मुझे होगी मैं अवश्य दूंगा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

यह मुद्दा तो इस समय यहां पर है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

चौधरी साहब के भाषण को आप देख लें उसमें उन्होंने यह बात उठायी है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

श्री राजनारायण जी को क्यों पकड़ा गया।

श्री अध्यक्ष--

क्यों पकड़ा इसके साथ क्यों छोड़ा और जोड़ दीजिये।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

राजनारायण जी के बारे में जबाब आ जाय तो हम मान जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

हो सकता है प्रशासनिक कारणों से किया हो वह आप बात कर या चिट्ठी लिखकर पूछ लीजिये।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

राजनारायण जी जब फैजाबाद से लखनऊ आ रहे थे तो उनको गिरफतार कर लिया गया।

विरोधी दल के लोगों को जब चाहें पकड़ लें और जब चाहे छोड़ दें.....

श्री अध्यक्ष--

कार्य-मंत्रणा समिति ने.....

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें (क्रमागत)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मान्यवर मेरा एक निवेदन था, हमारी तरफ से एक एडजार्नमेन्ट मोशन डाला फैक्ट्री के बारे में दिया था। डाला में एक फोरमैन के बारे में था। वहां पर मजदूरों ने एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जो गोलमाल कर रहा है रुपया खा रहा है उसके खिलाफ बात उठाई थी, प्रदर्शन कर रहे थे, तो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर गुस्से में आ गये और उन्होंने गुण्डों को लेकर उनकी पिटाई कर दी और पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री अध्यक्ष--

आपको कल बोलने का समय दिया था राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

यह सूचना आज मिली है। वहां पर पुलिस वाले भी थे। वह मि0 सिंह हैं उनके मकान पर पहले से गुण्डे मौजूद थे जो लाठी, पिस्तौल और बंदूक से लैस थे। तो वहां पर लाठी ही नहीं चली बल्कि बंदूक से फायर हुई जिससे 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। आप जानते हैं कि यह मामला केवल डाला तक ही सीमित नहीं है यह चुर्क, हिंडालको आदि का है। वहां पर एक आतंक का वातावरण है तो निवेदन है कि इस पर माननीय मुख्य मंत्री वक्तव्य दें।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

इससे हमसे क्या संबंध है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

हमारा कहना है कि यह पुलिस की साजिश से हुआ है।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

अभी मैं नियम 51 नहीं ले रहा हूं। कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी आज की बैठक में विधान सभा के वर्तमान सत्र के 25 फरवरी 1975 से 25 अप्रैल, 1975 के उपवेशनों के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम की सिफारिश की है।

25-2-1975 मंगलवार (1) उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस (नकद संदाय) विधेयक, 1975 तथा (2) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग विधेयक, 1974 पर विचार एवं उनका पारण।

26-2-75	बुधवार	.. बैठक नहीं होगी।
27-2-75	गुरुवार	.. विधायी कार्य
28-2-75	शुक्रवार	.. 25-2-75 को कार्य-मंत्रणा समित में इसके लिये कार्यक्रम निश्चित किया जायगा।
1-3-75	शनिवार	..
2-3-75	रविवार	..
3-3-75	सोमवार	..
4-3-75	मंगलवार	.. बैठक नहीं होगी।
5-3-75	बुधवार	..
6-3-75	गुरुवार	..
7-3-75	शुक्रवार	..
8-3-75	शनिवार	..
9-3-75	रविवार	..

10–3–75 सोमवार	..	(1) विधायी कार्य (2) 4 बजे अपराह्न— (क) वित्तीय वर्ष 1974–75 के अनुपूरक अनुदान का प्रस्तुतीकरण ।
21–2–75 (3) "वर्मा"	..	(ख) वित्तीय वर्ष 1975–76 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण । (ग) वित्तीय वर्ष 1975–76 के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण ।
11–3–75 मंगलवार		बैठक नहीं होगी (शिवरात्रि की छुट्टी)
12–3–75 बुधवार	..	(1) वित्तीय वर्ष 1974–75 के अनुपरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुर: स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण । (2) लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग निधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।
13–3–75 व 14–3–75 गुरुवार व शुक्रवार		वित्तीय वर्ष 1975–76 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा ।
15–3–75 शनिवार 16–3–75 रविवार	..	बैठक नहीं होगी ।
17–3–75 सोमवार 18–3–75 मंगलवार 19–3–75 बुधवार	..	वित्तीय वर्ष 1975–76 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा ।
20–3–75 गुरुवार 21–3–75 शुक्रवार	..	वित्तीय वर्ष 1975–76 के आय–व्ययक की मांगों पर मतदान ।
22–3–75 शनिवार	..	वित्तीय वर्ष 1975–76 के आय–व्ययक की मांगों पर मतदान ।
23–3–75 रविवार	..	बैठक नहीं होगी ।
24–3–75 सोमवार	..	वित्तीय वर्ष 1975–76 के आय–व्ययक
25–3–75 मंगलवार	..	की मांगों पर मतदान ।
26–3–75 बुधवार	..	
27–3–75 गुरूवार	..	होली, बारावफात तथा गुड फ्राई डे की
28–3–75 शुक्रवार	..	छुट्टी । (बैठक नहीं होगी)
29–3–75 शनिवार	..	
30–3–75 रविवार	..	

31-3-75 सोमवार 1-4-75 मंगलवार 2-4-75 बुधवार	..	वित्तीय वर्ष 1975-76 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।
3-4-75 गुरुवार	..	बैठक नहीं होगी । (शीतलाष्टमी की छुट्टी ।)
4-4-75 शुक्रवार 5-4-75 शनिवार	..	वित्तीय वर्ष 1975-76 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।
6-4-75 रविवार	..	बैठक नहीं होगी ।
7-4-75 सोमवार 8-4-75 मंगलवार 9-4-75 बुधवार 10-4-75 गुरुवार 11-4-75 शुक्रवार	..	वित्तीय वर्ष 1975-76 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।
12-4-75 शनिवार 13-4-75 रविवार	..	बैठक नहीं होगी ।
14-4-75 सोमवार 15-4-75 मंगलवार 16-4-75 बुधवार 17-4-75 गुरुवार 18-4-75 शुक्रवार	..	वित्तीय वर्ष 1975-76 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।
19-4-75 शनिवार 20-4-75 रविवार	..	बैठक नहीं होगी ।
21-4-75 सोमवार 22-4-75 मंगलवार 23-4-75 बुधवार	..	वित्तीय वर्ष 1975-76 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।
24-4-75 गुरुवार	..	बैठक नहीं होगी । (महाबीर जयन्ती की छुट्टी) ।
25-4-75 शुक्रवार	..	(1) वित्तीय वर्ष 1975-76 के आय-व्ययक की मागों पर मतदान (4 बजे अपराह्न तक) । (2) उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1975 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

श्री सत्य प्रकाश (जिला **बरेली**)---

अभी आपने बताया कि 13-3 को बजट रखा जाएगा, तो तारीख बदल दी जाए, नहीं तो सब 13-3 हो जाएगा ।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

10-3 बताया है ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने 10 मार्च तारीख इसके लिए बताया है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

सत्य प्रकाश जी के दिमाग में हर समय 3-13 ही घूमा करता है ।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से, जिसकी सूचना आज सदन को दी गई है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन, कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से, जिसकी सूचना आज सदन को दी गई है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, कोरम तो देख लिया जाए, कोरम नहीं है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

नहीं, कोरम है ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

*श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद का जो प्रस्ताव माननीय रामायण राय जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और नेता विरोधीदल ने जो संशोधन प्रस्तुत किए हैं, मैं उनका विरोध करता हूं । मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि जिस दिन नेता विरोधी दल ने अपना भाषण कर रहे थे, उन्होंने लगभग पौने दो-दो घंटे भाषण किया और उस भाषण में लगभग 20 मिनट दलबदल और डिफेक्शन के सम्बन्ध में ही चर्चा करते रहे । मान्यवर, मैं इस बात को इसलिये कहना चाहता हूं कि दलबदल और डिफेक्शन इस आदरणीय सदन का विचारणीय विषय था और न उस पर चर्चा होने की कोई आवश्यकता थी । लेकिन हम सब सामाजिक कार्यकर्ता प्रदेश में एक दूसरे से परिचित हैं, हम उनकी फितरतों से भी आपस में परिचित हैं और एक दूसरे की रग रग से भी हम वाकिफ हैं । मान्यवर, मैं नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल, चौधरी चरण सिंह की यदि सबसे ज्यादा दुखती हुई कोई रग है तो वह डिफेक्शन है । यदि उस रग की ओर उनके सामने कोई संकेत करता है तो उनके मन में बड़ी तकलीफ पैदा हो जाती है । लेकिन उसके साथ-साथ एक गुदगुदी भी होती है जो उनके साथ इसी डिफेक्शन की वजह से इतना बड़ा बहुमत भी आया हुआ है ।

---

*20 फरवरी, 1975 की कार्यवाही से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भगवती सिंह]

चौधरी साहब ने डिफेक्शन किया था या नहीं, या आगे डिफेक्शन होंगे या नहीं, उस पर विचार न करके उसे किसी राजनीति शास्त्र के शोधकर्ता के सुपुर्द कर दिया जाए, वह उस पर अपनी राय दे। उन्होंने जो अपना भाषण दिया वह बड़े राजनीतिक चातुर्य से भरा हुआ था। उन्होंने तमाम बातें ऐसे ढंग से कहीं, उन सब बातों को उन्होंने गलत ठहराया, लेकिन एक तरह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को आगे निभाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने अपने भाषण में इस बात की शिकायत की कि कांग्रेस सरकार ने जब से शासन अपने हाथ में संभाला था, तब से राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ता जा रहा है। उन्होंने इस बात का संकेत किया कि बाबू सम्पूर्णानन्द ने जिस समय तीन सौ रुपये के ऊपर महंगाई भत्ते का सवाल पैदा हुआ तो उन्होंने लिमिट बढ़ा कर चार सौ रुपये कर दी थी। माननीया सुचेता कृपालानी ने चार सौ की लिमिट बढ़ा कर पांच सौ कर दी थी। आज इस शासन ने पांच सौ की लिमिट बढ़ा कर सात सौ कर दिया है। लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई से राजकर्मचारियों को आश्वासन दिया कि अगर भविष्य में हमारे हाथ में किसी तरह से शासन सत्ता आयेगी तो बराबर उसे देते रहेंगे। उन्होंने अपने भाषण में नैतिकता के सम्बन्ध में उद्वेलित करते हुए इस बात का हम को उपदेश दिया कि चाहे जो कुछ हो जाय लेकिन दिल की जो आवाज है, सत्य बात हो, उसके लिये हर कांग्रेस के सदस्य को और इस आदरणीय सदन के सभी सदस्यों को उसके लिये डटे रहना चाहिये और अगर जरूरत पड़े, उसके लिये विद्रोह करने की भी आवश्यकता पड़े तो किया जाय। उन्होंने इस संदर्भ में भ्रष्टाचार की चर्चा की और भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुए वह यहां तक कह गये कि वर्तमान मंत्रिमंडल में आधे से ज्यादा सदस्य भ्रष्टाचारी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय चौधरी साहब नहीं है लेकिन यदि होते तो मैं उनसे पूछना चाहता कि मंत्रिपरिषद् में जो सदस्य थे वे पहले से विद्यमान थे। उनमें से एक आध को छोड़ कर बाकी सभी लोग किसी न किसी समय उनके मंत्रि परिषद् के उनके सहयोगी के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने हम को इस बात के लिये ललकारा कि अगर कोई गलत काम करता हो तो उससे अलग हो जाना चाहिये। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब उनको इस बात की जानकारी थी कि मंत्रिपरिषद् के यह सदस्य भ्रष्टाचारी हैं तो उन्होंने क्यों उनको साथ ले कर हुकूमत बनायी थी, क्यों उनको साथ ले कर अपने मंत्रिमंडल का निर्माण किया था। लेकिन मान्यवर, आप भी जानते हैं। इस आदरणीय सदन के सभी सदस्य जानते हैं एक राजनीतिक दबाव होता है, पालिटिकल कम्पल्शन होता है जिसके कारण इस तरह का कार्य करना पड़ा। चौधरी साहब के शासन पालिटिकल कम्पल्शन था। वह शासन से चिपके रहना चाहते थे। वह कभी भी अपने को शासन से पृथक रखना नहीं चाहते थे। इस लिए उन्होंने ऐसा किया। और ऐसा करके, मेरी धृष्टता क्षमा हो तो मैं कहने के लिये तैयार हूं कि वह भ्रष्टाचारियों के सरदार बन कर विराज रहे थे। तुलसी दास जी ने कहा है—पर उपदेस कुसल बहुतेरे जे आचरहिं ते नर न घनेरे। चौधरी साहब हमको उपदेश दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरह का आचरण नहीं किया जिसके कारण ऐसी स्थिति में हो कि हमें किसी तरह का कोई उपदेश दे सकें।

मान्यवर, आप जानते हैं और मसल भी है कि दूकानदारी नरमी की और शासन गरमी का। और चौधरी साहब का विश्वास भी इस बात पर है कि शासन सख्ती और गरमी से करना चाहिये। मैं भी इस बात को मानता हूं कि शासन में अगर सख्ती नहीं होती है तो शासन

ठीक से नहीं चलता है। लेकिन मान्यवर, कि अगर सितार के तार बहुत ज्यादा कस दिये जायं तो उससे स्वर नहीं निकलेगा। इसी तरह से हुकूमत में अगर अधिक सख्ती की जाय तो अधिकारियों का इनीशिएटिव समाप्त हो जाता है। लेकिन उसके साथ-साथ मान्यवर, अगर सितार के तार बिलकुल ढीले हो जायं तो उससे किसी तरह का स्वर नहीं निकलेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज इस समय जो शासन है उसमें शिथिलता आ गयी है। उसमें किसी तरह का स्वर नहीं निकल रहा है। चाहे जिस दफ्तर में जाइये आपको यही सुनने को मिलेगा कि यह तो सरकारी राजकाज है, यों ही चलता है। इस प्रदेश के दस करोड़ निवासियों का जब प्रश्न हो उस समय सरकार इस तरह से चले तो सरकार की वह शिथिलता और जगमगाते हुए जो कदम चल रहे हैं उससे प्रदेश का हित होने वाला नहीं है। इसके लिये मुख्य मंत्री जी को प्रदेश का शासन सख्त करना पड़ेगा और जो प्रदेश की आवश्यकतायें हैं उनको पूरा करना पड़ेगा।

राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में तमाम प्रश्नों के सम्बन्ध में अपनी बात कहते हुये संकेत किया है कि हमारे प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि 537 मैगावाट बिजली का उत्पादन हो जायेगा। लेकिन मुझे इसमें संदेह है क्योंकि अभी विद्युत् परिषद् का मामला विचाराधीन था तो मालूम हुआ कि वह केवल अपनी क्षमता का 49 प्रतिशत ही बिजली का उत्पादन कर पाये हैं। अब इतना बिजली का उत्पादन कर लेंगे इसमें मुझे संदेह है। अगर इतना उत्पादन हो भी जायेगा तो गरीब किसानों को उससे क्या लाभ होगा।

मैं आपकी जानकारी के लिये सदन को बताना चाहता हूं कि दिनांक 17 दिसम्बर, 1974 को विद्युत् परिषद् की ओर से एक आदेश निकला है कि अब से नलकूपों के लिये नये बिजली के कनेक्शन्स नहीं दिये जायेंगे। 16 तारीख तक जो किसान नलकूप लगाना चाहते थे और जिन्होंने बी0 एल0 फार्म भरकर दे दिया है, ऐग्रीमेंट भर दिया है तथा सारा रुपया जमा कर दिया है और इंजिन भी खरीद लिया है तो उनका क्या होगा। आज हमारे जिले में ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश में लाखों किसान ऐसे होंगे जिनका हजारों रुपया फंस गया है और उनको बिजली का कनेक्शन भी नहीं मिलेगा।

(इस समय 3 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राम सुन्दर पांडेय पीठासीन हुए।)

इसके साथ-साथ एक और आदेश निकला है जिसमें कहा गया है कि अब तक जो किसानों की फ्री लाइन मिलती थी वह समाप्त कर दी गई है। जो सब स्टेशन बनाया जायेगा उसमें किसानों से 325 रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से खर्चा लिया जायेगा। अब यदि कोई किसान नलकूप लगाना चाहेगा तो दस हजार से कम में नहीं लगा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने 16 दिसम्बर, 1974 को बी0 एल0 फार्म भरा तथा इंजिन खरीद लिया है उनको बिजली कनेक्शन देने में विद्युत् परिषद् की ओर से क्यों अड़ंगा पैदा किया गया है। मुझे आशा है कि सरकार इधर ध्यान देकर किसानों की इस कठिनाई को दूर करेगी।

हमारे प्रदेश में आर्थिक संकट है और इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश में है और प्रदेशीय सरकार इसको दूर करने के लिये प्रयत्नशील भी है। इसका सब से अच्छा तरीका यह है कि सरकारी धनराशि जो कर के रूप में या कर्जे के रूप में बकाया है

[श्री भगवती सिंह विशारद]

उनसे वसूल की जायें। बड़े-बड़े पूंजीपतियों के ऊपर भी यह काफी बड़ी तादाद में धन-राशि बकाया है लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करके वसूली रुकवा ली है या किसी और तरीके से उन लोगों ने वसूली रुकवा ली है। छोटे किसानों से जिस सख्ती के साथ वसूली की जा रही है वह सीमा के परे है। इस समय कोई फसल नहीं है। महीने बाद सरसों की फसल तैयार होगी। डेढ़ दो महीने बाद दूसरी फसलें तैयार होंगी। इस समय उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उसको अपना भरण पोषण अपने अनाज से करना है लेकिन सरकार की तरफ से इतनी सख्ती के साथ वसूली हो रही है जिसके कारण किसानों में असन्तोष पैदा होता जा रहा है।

तो मान्यवर, मैं आपके द्वारा सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि यह जो सख्ती इस समय चल रही है इस सख्ती को किसी तरह से नर्म करने की कृपा करें और इस बात का अवसर प्रदान करें कि अब किसानों से सख्ती के साथ पैसा वसूल नहीं किया जायगा। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में इस बात का संकेत किया गया है कि प्रदेश में शान्ति व्यवस्था निरन्तर अच्छी होती जा रही है। मैं यह मानता हूं कि शान्ति व्यवस्था में सुधार होता जा रहा है लेकिन वह सुधार स्थायी सुधार नहीं है। पिछले नवम्बर, दिसम्बर के महीनों में सारे प्रदेश में एक क्राइम ड्राइव चला हुआ था। इससे जो जुल्म या जो क्राइम हो रहे हैं, उनकी रोक-थाम की जायगी। और इसके लिये मान्यवर, हर कप्तान पुलिस ने एक नया तरीका अपनाया, जितने छोटे लोग थे, जितने हरिजन लोग थे, या दूसरे लोग थे उनको झूठे मुकदमें में, चोरी में, डकैती में फंसा कर और एक-बहुत बड़ी तादाद में हर जिले में तैयारी की गई कि साहब जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ लिया गया है, अब जुर्म कम हो जायगा। जो लोग जिन्दगी में कभी भी क्रिमिनल नहीं रहे हैं, ऐसे-ऐसे लोगों को पुलिस ने क्रिमिनल बनाकर जेल में भेज दिया। इससे नतीजा यह होगा कि ये लोग जेल में जाकर उन क्रिमिनल्स के साथ रह कर, क्रिमिनल्स के वातावरण में रह कर जब जेल से निकलेंगे तो क्रिमिनल हो जायेंगे। इससे जुर्म घटने के बजाय और बढ़ता ही जायगा।

सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इससे जुर्म कम नहीं होता है बल्कि जुर्म की समस्यायें और बढ़ जाती हैं और कठिनाइयां भी पैदा हो जाती हैं। तो मैं यह अनुरोध करूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे। अधिष्ठाता जी मैं थोड़े ही समय में अपनी बात समाप्त कर दूंगा मुझे थोड़ा ही समय और चाहिए। अभी हमारी खाद्य मन्त्री जी डा0 राजेन्द्र कुमारी जी ने एक आदेश कुछ समय पहले निकाला था और उस आदेश में यह कहा गया था कि शादी-ब्याह के लिये चीनी के परमिट दिये जायेंगे और शादी-ब्याह के के लिये चीनी मिलेगी। लेकिन मुझे यह जानकर दुःख हुआ कि आदेश तो निकाल दिया गया लेकिन इसकी पूर्ति की व्यवस्था या प्रबन्ध नहीं किया गया। तो मैं यह कहूंगा कि इसका परिणाम यह होगा कि चीनी के परमिट तो दिये जायेंगे, चीनी भी मिल जायगी, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र को चीनी मिलने वाली होती है उसी में से कोटा कम करके चीनी दी जायगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आवश्यकतायें पूरी नहीं हो पायेंगी।

मैं अन्त में एक बात कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैं यह मानता हूं कि सरकार की ओर से जो पूर्ति के प्रयत्न होते हैं, उनमें सदैव अन्तर होता है

और उसमें खाई पैदा होने लगती है और जब वह खाई चौड़ी होने लगती है तो लोगों में आक्रोश पैदा होने लगता है। मान्यवर, हमारी जनता के मन में तमाम महत्वाकांक्षायें हैं और सरकार की ओर से उन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। अगर इस निराशा और आक्रोस को पूरा नहीं किया गया तो इसका परिणाम भयावह हो सकता है। इन शब्दों के साथ माननीय रामायण राय जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री राम जनम राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में श्री रामायण राय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, गाजीपुर जनपद की सीमा बिहार प्रदेश मे मिली हुई है। इस कारण वहां पर बहुत ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इस भ्रष्टाचार में प्रशासन और पुलिस की मिली भगत है। वहां के सभी विधायकों ने माननीया खाद्य मन्त्री को जब वे गाजीपुर गयी थीं तो इस चोर बाजारी और भ्रष्टाचार के बारें में निवेदन किया था। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि इसको दूर किया जायेगा? खाद्य परामर्श-दात्री समिति के सदस्यों ने जिलाधिकारी की बैठक से बहिष्कार किया था। बावजूद इसके सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। नतीजा यह हुआ है कि 4 सौ टन वाजरा पुलिस की मिली भगत से बेच दिया गया है। सैकड़ों टन मक्का सड़ गया है जिसको बेचने के लिये दूकानदारों को बाध्य किया जा रहा है। 3 अक्तूबर को रेवतीपुर के विद्यालय के बच्चों ने भ्रष्टाचार के विरोध में हड़ताल की थी। तो पुलिस ने उनको पीटा। उनकी हड़ताल को खत्म करने के लिये काफी पुलिस भेजी गयी। घरों से सोते हुए बच्चों को पकड़ मंगाया गया और उनको पीटा गया और जेल में बन्द कर दिया गया, उन पर डकैती के मुकदमें दर्ज किये हैं। एक छात्र जिसका नाम धीरेन्द्र श्रीवास्तव है उसको डी0 आई0 आर0 में बन्द कर दिया गया है। आज भी वह जेल में है। इसके अलावा और भी लोगों को डी0 आई0 आर0 में बन्द किया गया है सिर्फ इसीलिये कि उन्होंने भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठायी थी।

मैंने बहुगुणा जी को भी एक पत्र लिखा और माननीया खाद्य मन्त्री जी को भी पत्र लिखा और बहुत से लोगों ने पत्र लिखे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। युसुफपुर में बाजार लगती है, वहां पर लेवी के नाम पर बहुत सा धन वसूल किया जा रहा है। यह चीज वहां की चुंगी चौकी से पता लगायी जा सकती है। लेवी ली जाती है लेकिन यह रुपया राजकीय कोष में नहीं आता है। यह चीज रिजनल फूड कन्ट्रोलर को भी लिखी गयी लेकिन कोई समुचित कार्यवाही नहीं की गयी। बाजार के दिन हजारों लोगों को लेवी के नाम पर लूटा जाता है। सीमेंट के परमिट फर्जी जारी किये गये हैं। जिन लोगों को सही परमिट दिये गये हैं उनको सीमेन्ट नहीं मिल पायी है और जिनको फर्जी परमिट दिये गये हैं उनको सीमेन्ट मिल जाती है। इस सम्बन्ध में लोगों ने जिलाधिकारी के दरवाजे खटखटाये लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बाढ़ग्रस्त लोगों को सहायता देने के लिये काफी रुपया दिया गया है, लेकिन वहां के अधिकारियों के कारण वह पैसा बिल्कुल नहीं बांटा गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम जनम राय]

देवकली परियोजना में किसानों की बहुत सी भूमि जो खेती योग्य है, उसका नुकसान हो रहा है। बहुत से किसानों के खेत बिल्कुल चले गये हैं, जिससे उनको बहुत नुकसान हो रहा है। मेरा निवेदन है कि देवकली परियोजना में जो भूमि जाये उसको सार्वजनिक रूप से दिया जाये। इसके लिये वहां चकबन्दी पुनः करायी जाये जिससे किसी एक विशेष किसान पर उसका पूरा बोझ न पड़े। इससे उनको बहुत नुकसान होने वाला है। इस तरह से मान्यवर, वहां के जिलाधिकारी महोदय और अन्य अधिकारी नन्दगंज में जो शराब का कारखाना खोला जा रहा है उसके शेयर बिकवा रहे हैं। यही नहीं चुनाव के वक्त में जमानिया में एक व्यक्ति को लोहे की फैक्टरी को लगवाने के लिये 20-25 हजार में जमीन दिलवाई गई। बाद में वह कारखाना नहीं लगा और पता चला कि वह जमीन उसने लाखों रुपये में बेची। यह भी पता लगा है कि शराब के कारखाने के लिये उस आदमी की मदद करने के लिये वहां के जिलाधिकारी तरह-तरह से रुपया वसूल कर रहे हैं, और उसमें पैसा लगा रहे हैं।

जब पहली बार चुनाव में हमारी माननीय प्रधान मन्त्री या अन्य मन्त्री समय-समय पर आये उन्होंने बहुत सी योजनाओं का उद्घाटन किया जो आज पैसे के अभाव में ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। गाजीपुर में गंगा के पुल का माननीय कमलापति त्रिपाठी ने उद्घाटन किया लेकिन वह भी बन्द पड़ा हुआ है। गाजीपुर का जनपद बड़ा ही पिछड़ा हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि जितनी भी योजनायें हैं, उनको कार्यान्वित करना चाहिए ताकि उस जनपद के गरीब लोगों को कुछ राहत मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करता हूं।

श्री काली चरण यादव (जिला गाजीपुर)--

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर- सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गौरी शंकर (जिला इटावा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, रामायण राय जी द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रकट करने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करने हेतु मैं खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, माननीय चौधरी साहब की जो विशेषता है, उसको मैं पुनः यहां पर दुहराना चाहता हूं और अपने साथियों से निवेदन करता हूं कि वे मेरी बात सुनें। मैं कोई ज्यादा कड़वी बात नहीं कहूंगा। उनकी विशेषता यह है कि वे अपनी बात तो कहते हैं परन्तु दूसरों की नहीं सुनते हैं। वे इस समय अपने चेम्बर में बैठे होंगे, मेरी इस बात को अवश्य सुन रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

मैं व्यर्थ की चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ उस पैराग्राफ पर ही अपने आपको केन्द्रित करता हूं जिसमें महामहिम राज्यपाल जी ने कहा है कि "सरकार बिजली तथा सिंचाई के विकास को प्राथमिकता दे रही है।" सही बात यह है कि यह बहुत

ही सराहनीय सरकार का कदम है और इसके लिये सदन के अन्दर और बाहर निश्चित रूप से हर नागरिक धन्यवाद देगा। लेकिन साथ ही साथ वह चौधरी साहब जो कि बहुत ही छोटी-छोटी बातों का जिक्र किया करते हैं, मैं बहुत ही अदब के साथ उनको कृतघ्नता के बारे में दो, चार शब्द अर्ज करना चाहूंगा.....

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

इस प्रकार के अशिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

आपको 'कृतघ्नता' शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये।

श्री गौरी शंकर—

मेरा स्पष्टीकरण सुन लें उसके बाद आप जो समझें कहें। चौधरी साहब हमारे क्षेत्र में स्थित पचनदा पर गये थे और वहां पानी की गहराई को भी नापा था और वहां की जनता की शुभकामनाओं से वह आज हाउस में बैठे हैं, उस जगह पर जहां सरकार बिजली और पानी की सारी सुविधाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, हमें बहुत खुशी होती अगर अपने 3-4 घंटे के भाषण के दौरान उन्होंने यह कह दिया होता कि वहां पानी की गहराई को उन्होंने स्वयं देखा है, वहां बांध बनने लायक है। उससे उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंडी इलाके को ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश को भी लाभ मिल सकता है। तब हम निश्चित रूप से चौधरी साहब के कृतज्ञ होते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। यमुना और चम्बल का जो बीहड़ इलाका है, जहां बड़े-बड़े डाकू हैं, उसके बारे में सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। उनके बारे में भी माननीय चौधरी साहब जैसे व्यक्तित्व मे मैं आशा करता था कि कुछ बात कहेंगे। इसके अलावा अगर वहां 'जुहीरवा' और 'बीजलपुर' पर पुल बनता तो उससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हर तरह के सम्बन्ध अच्छे होते। वहां भिन्ड क्षेत्र से लगे हुए हमारे क्षेत्र के एक दर्जन से भी अधिक गांव ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल निश्चित रूप के प्रस्ताव किया है कि उनका हित उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं देख रही है इसलिये हमको मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया जाय। नहीं तो कम से कम औरैया तहसील से हटाकर उनको भर्थना तहसील में मिला दिया जाय क्योंकि औरैया तहसील बहुत दूर और असुविधाजनक है मैं उनकी वकालत नहीं करता लेकिन उनके मन में जो आक्रोश है उसकी माननीय सदन के सामने रखना अपना फर्ज समझता हूं।

इसके अतिरिक्त सरकार ने जो हरिजनों के लिये 50 प्रतिशत का आरक्षण किया था, खासतौर से पुलिस में, मैंने व्यक्तिगत तौर से और सामूहिक रूप से भी सरकार के प्रति आभार प्रकट किया था इस समाज की ओर से।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

50 प्रतिशत आरक्षण और 50 प्रतिशत उनका भक्षण।

श्री गौरी शंकर—

आप कथा वाचक हैं, आप ज्यादा विद्वान हैं। मैं तो सिर्फ आभार प्रकट करता हूं। उनका यह एम था कि यह 50 प्रतिशत तब तक रखेंगे जब तक 18 प्रतिशत पूरा नहीं हो जाता। लेकिन यदि बाद में वह आरक्षण 9 परसेंट पर कन्सेन्ट्रेट किया है तो यह ज्यादा अच्छा नहीं है? यह 50 प्रतिशत तब तक रहना चाहिये जब तक 18 प्रतिशत पूरा न हो जाय।

[श्री गौरी शंकर]

इसके अतिरिक्त महामहिम ने अपने अभिभाषण में यह भी कहा है कि हरिजन समाज पर जो जुल्म हो रहें हैं उनकी रक्षा के लिये अधिकारियों को विशेष रूप से आदेश दिये गये हैं। यह बहुत ही प्रशंसनीय कदम है लेकिन आप इसको प्रैक्टिकल शेप देते और यह कहते कि फलां जिले में सामाजिक विषमता के नाम पर यह अत्याचार उस गरीब जनता पर हुये हैं। इसलिये इस कलेक्टर और एस0 बी0 की चरित्र पंजिका में एडवर्स एन्ट्री होनी चाहिये। अगर यह नहीं हुआ है तो अब होना चाहिये। हरिजनों के हितों के लिये जो पुलिस सेल बनाया गया है वह ऐसा नहीं होना चाहिये जैसा कि माननीय चौधरी साहब ने साइबेरियन सेल बनाया था। हम चाहते हैं कि यह सेल उसी तरह का न बने।

माननीय चौधरी साहब ने कहा कि मैं हरिजन विरोधी नहीं हूं मैं यह कहना चाहता हूं और निश्चित रूप से मेरी यह धारणा है कि माननीय चौधरी साहब को कभी इन लोगों से हमदर्दी नहीं रहती है। जब जब हरिजनों के साथ अत्याचार हुये हैं, उन्होंने एक शब्द भी यहां विधान सभा में उनके लिये नहीं कहा है। फिर कैसे कहा जाय कि वे हरिजन हितैषी हैं। (व्यवधान) हरिजन लड़कियों के साथ, उनकी मां बहिनों के साथ जब-जब किसी ने अत्याचार किया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, कभी उनके बारे में एक शब्द भी माननीय चौधरी साहब के मुंह से यहां सुनने को नहीं मिला। माननीय चौधरी साहब के जमाने में इन हरिजनों के साथ क्या-क्या अत्याचार नहीं हुये ? कौन नहीं जानता। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रिन्सिपल के कमरे में एक हरिजन लड़के को कितना मारा गया। यही नहीं, उनके जमाने में तो हरिजनों के साथ जितना दुर्व्यवहार किया जाता रहा उतना कभी नहीं हुआ। चौधरी साहब ने अपने शासन काल में यदि किसी एक के खिलाफ भी कोई ऐक्शन लिया हो, तो वे बता दें।

चपरासी से लेकर कमिश्नर तक न जाने कितने जाटों को उन्होंने नौकरी में भरा, मगर किसी भी जाट के खिलाफ कोई कार्यवाही उन्होंने की हो तो वे बता दें। (व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या आप चौधरी साहब के ऊपर थीसेज लिख रहे हैं.....। (व्यवधान)

श्री गौरी शंकर—

आप ध्यान से सुनिये। चौधरी साहब जो यहां नेता, विरोधी दल हैं, जो छोटे-छोटे मामलों में यहां मदन त्याग कर दिया करते हैं, उनकी भूमिका पहले क्या रही है वे उसको शायद भूल जाते हैं। अपने इस भाषण में अगर वे थोड़ा सा भी यह कह देते कि हरिजनों के लिये यह करो, उनके लिये यह होना आवश्यक है, कोई सुझाव दिये होते उनके लिये, तो मैं समझता कि सचमुच में वे हरिजन हितैषी हैं। खाली प्रेम चन्द की कहानी प ' कर उनकी दशा का बखान कर देने मात्र से ही उनकी असली हालत का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। यदि उनकी असली हालत का पता लगाना है तो उनकी बस्तियों में जाकर उनकी स्थिति को देखना होगा। उनके सम्पर्क में आना होगा। खाली प्रेमचन्द की कहानी पढ़ लेने से ही उनके बारें में सही ज्ञान नहीं होगा। न ही उससे उनकी गरीबी का अन्दाज लगाया जा सकेगा। चौधरी साहब यदा-कदा या मैं यह कहूं कि सर्वदा ही भ्रष्टाचार की चर्चा किया करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मानसिंह के खिलाफ कितने

भ्रष्टाचार के आरोप थे ..... (व्यवधान) उन्होंने अपने जमाने में उसके बारे में क्या किया ? फाइल ही गायब करवा दी ... (व्यवधान) लेकिन कम से कम उनका भ्रष्टाचार विरोधी वह रूप कहां गया।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, आप यह पक्षपात कर रहे हैं। आखिर ये कितनी देर बोलेंगे ? आपको सबके लिये समय बांध देना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय गौरी शंकर जी, आपका समय समाप्त हो गया। आप बैठिये।

श्री गौरी शंकर—

मालूम होता है कि भ्रष्टाचारियों के साथ आपकी सांठ-गांठ है। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठें। आपका भाषण अब नोट नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

(श्री राज ब्रजराज सिंह का नाम पुकारे जाने पर।)

एक सदस्य—

अधिष्ठाता महोदय, आप हम लोगों को बोलने का समय नहीं दे रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

आपके दल के सदस्य बोल चुके हैं। मैंने जनसंघ दल के किसी सदस्य को अभी समय नहीं दिया है।

*श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला खीरी)—

अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को सुनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ परन्तु मैंने उसे पढ़ा है। राज्यपाल महोदय का जो भाषण होता है वह आगे आने वाले एक वर्ष के लिये नीति निर्देशक होता है। सरकार आगे को जो कार्य करने वाली होती है उसका उसमें संक्षिप्त रूप में संकेत होता है। प्रस्तावना होती है। परन्तु ऐसा हमने उसमें कुछ भी नहीं पाया। अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल जी ने जो जो चीजें अपने अभिभाषण में कही हैं उनमें विशेषकर सिंचाई और उद्योग धन्धे तथा खेती की बातें कहीं हैं। साथ ही साथ विशेष रूप से प्रगति के लिये ध्यान देने का भी आश्वासन दिया है। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार उद्योग धन्धों में कुटीर उद्योगों में बिजली जिस दर से देती है उसी दर पर बिजली सिंचाई के लिये किसानों को दी जाय। खेती के लिये खाद, पानी अत्यन्त आवश्यक चीज है। एक तो सरकार इन चीजों को जनता को उपलब्ध नहीं कराती और यदि उपलब्ध कराती भी है तो उसके लिये जो कीमत देनी पड़ती है वह बहुत ज्यादा है।

पिछले वर्ष जब किसान खेती के लिये खाद चाहते थे तो उनसे कहा जाता था कि पहले गेहूं दो। और जब वे गेहूं देते थे तो उसके एवज में उनको खाद, सुगर, मिट्टी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज ब्रजराज सिंह]

का तेल, व डीजल दिया जाता था और जो लोग गेहूं नहीं देते थे, छोटे काश्तकार, उनको यह सब नहीं मिलता था। यह सरकार द्वारा जबरिया गेहूं वसूली का परिणाम था। जहां तक सरकार की आर्थिक नीति का सम्बन्ध है, पिछले 27 वर्ष में वह सबके सामने आ चुका है कि हमारा प्रदेश आर्थिक संकट के कगार पर पहुंच चुका है और एक तरह से दिवालियापन की स्थिति में है। इसके लिये दोषी क्या हम हैं? शासन आपका है और इसके लिये दोषी विरोधी पक्ष है? अगर शहर और देहातों को देखा जाय तो दोनों की आर्थिक गहराई पटने के बजाय दिनों दिन बढ़ती जाती है। देहात वालों की औसत आय शहर वालों की अपेक्षा बहुत कम है। वे बहुत कठिन स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। गांवों के अन्दर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, मिट्टी का तेल भी उनको नहीं मिलता है। शहर में जब कि प्रति व्यक्ति एक किलो शुगर महीने में मिलता है, देहात में प्रति व्यक्ति केवल आधा किलो ही शुगर मिलता है। यहां तक कि शहरों में बिजली है फिर भी यहां 2 लीटर फी व्यक्ति दिया जाता है? पर देहातों में इसकी भी व्यवस्था नहीं है। माननीया खाद्य मन्त्री यहां पर बैठी हुयी हैं, उन्होंने पिछले वर्ष यहां पर आश्वासन दिया था और कहा था कि कम के कम हर न्याय पंचायत में एक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान खोली जा रही है पर देखने में यह आ रहा है कि आज तक दुकान नहीं खोली गयी है। मैं बराबर देख रहा हूं और यह भी जानता हूं कि निकट भविष्य में खोलने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। शहरों में प्रत्येक 2-3 हजार व्यक्तियों के ऊपर एक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है पर देहातों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यह आपकी ग्रामवासियों की उपेक्षा की नीति का द्योतक है।

जब से कांग्रेस की सरकार आयी है कुटीर उद्योग चौपट हो रहे हैं। जबकि इसी सरकार ने कहा था कि लघु उद्योग धंधों को वरीयता देंगे पर इसके कार्यकलापों से बिल्कुल साफ जाहिर है कि उद्योग धंधों को बढ़ाने के बजाय यह उसके विपरीत जा रही है।

आज से 6 महीने पहले शुगर वालों को कुटीर उद्योग धन्धे चलाने के लिये, लाइसेंस देने के लिये रुपया जमा किया गया था परन्तु आज तक लाइसेंस नहीं दिया गया है। अत: इससे स्पष्ट है कि कुटीर उद्योगों को वरीयता नहीं दी जा रही है। आप उनको बढ़ने और पनपने का अवसर नहीं दे रहे हैं। यदि इनको बढ़ने का मौका मिलता तो आज गांवों में किसानों को और खेतिहर मजदूरों को काम मिलता। आप इनको काम का मौका नहीं दे रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जहां पर क्रेसर्स चल रहे हैं वहां पर गन्ने की खरीद के लिये कोई मूल्य नहीं निर्धारित किया गया है। मूल्य न तय करने से काश्तकारों का शोषण होता है और उनको मनमाने दर पर गन्ना बेचने पर मजबूर किया जा रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा कि जो न्यूनतम मूल्य है आप उससे कम ही मूल्य निर्धारित कर दें पर मूल्य निर्धारित अवश्य कर दें।

मान्यवर, यह शासन, कांग्रेस शासन, इस शासन में मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि यह अंग्रेजों के बनाये गये रास्तों पर चल रहा है। उनकी विरासत के अनुसार, जो उनका मूल-मन्त्र था कि फूट डालो और शासन करो, जो उनकी पालिसी थी यह शासन बिल्कुल उसी रास्ते पर चल रहा है। इसका स्पष्ट उदाहरण मान्यवर, जो अभी उपाध्यक्ष

का चुनाव हुआ है उससे जाहिर है। मैं इस सम्बन्ध में और अधिक नहीं कहना चाहता हूं यह विचारणीय प्रश्न है। प्रजातन्त्र को चलाने के लिये विरोधी पक्ष की आवश्यकता होती है। पर आप नहीं चाहते हैं कि विरोधी पक्ष बना रहे। उसको दबाया जा रहा है। न्याय पालिका कमिटेड जुडीशियरी हो रही है। आप चाहते हैं कि जो फैसला हम करें वही न्याय पालिका के मुंह से प्रति-ध्वनित हो। आप चाहते हैं कि विरोधी पक्ष कभी सशक्त न हो पर यह प्रजातन्त्र के लिये जरूरी है कि एक सशक्त विरोधी पक्ष हो। आप उसको तोड़ देना चाहते हैं। और सशक्त नहीं होने देना चाहते हैं।

अधिष्ठाता महोदय, मैंने आपके सामने यह कुछ तथ्य रखे हैं मुझे विश्वास है कि इस पर ध्यान देना तो दूर रहा, सुनने की भी कोशिश नहीं की जा रही है। पर जनता ने मुझे यहां चुन कर भेजा है। मुझे उसकी बात को कहना है, मैं अपने दायित्व का पालन कर रहा हूं। मैं सरकार के समाजवादी कदम की तारीफ करता हूं कि आपने जो शक्ति की है उसमें अधिकारियों को नहीं, डिप्टी डाइरेक्टर या डाइरेक्टर को नहीं बल्कि तृतीय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की छटनी है। सवा छः एकड़ तक लगान माफ था लेकिन उसको फिर आपने लगाया है। इस प्रकार जो घाटा था उसको करों से वसूल कर लिया है। आपने लगान लगाकर समाजवाद का एक बड़ा परिचय दिया है।

(इस समय 4 बजकर 29 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

दूसरी चीज शहर में शहर विकास कर लगा था उसको उठा लिया और ग्रामीण विकास-कर ज्यों का त्यों लगा हुआ है। उसकी तरफ कोई सरकार कदम नहीं उठा रही है? आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि कम के कम शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में जो खाई है उसको पाटने के लिये कदम उठाये और ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिये न्यूनतम मजदूरी की दरें कायम कर दें। सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जायं और इसके साथ ही साथ कुटीर लघु उद्योग धन्धों की ओर भी ध्यान आकृष्ट हो। किसानों को संरक्षण देने के लिये कुछ न्यूनतम मूल्य गन्ने का तय करें जिससे छोटे क्रशर वाले गन्ना खरीद सकें।

*श्री शतरुद्र प्रकाश---

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार रखूं इससे पहले मैं धूमिल कवि जो अभी विदगंत हो गये हैं उनकी कुछ लाइनें कहना चाहता हूं क्योंकि स्वर्गीय धूमिल हिन्दुस्तान में आज के जमाने में अग्रणीय कवियों के नामों में आते हैं। उनकी जिस तरह मौत हुई यदि उसको देखें तो सरकार की तरफ ऊंगली जरूर उठेगी। अब मैं उनकी लाईन को रखना चाहता हूं---एक आदमी रोटी खाता है, दूसरा आदमी रोटी बेलता है और तीसरा आदमी जो न रोटी खाता है और न बेलता है और वह रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं कि वह तीसरा व्यक्ति कौन है? अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि वह व्यक्ति कौन है? इसमें संसद मौन है। उस मौन को तोड़ने के लिये मैं कहना चाहता हूं कि धूमिल ने आगे कहा है कि कांग्रेस पार्टी का यह समाजवाद है भूख और भूख की आड़ में आराम। मगर मैं जानता हूं कि यह देश का समाजवाद महज एक गोदाम में लटकती हुई बाल्टी की तरह है। बाल्टी में लिखा है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शतरुद्र प्रकाश]

बालू और पानी भरा है जबकि उसमें आग भरी है । यह समाजवादी गोदाम में लटकती हुई बाल्टी की तरह है जिसमें आग भरी है लेकिन लिखा है कि बालू और पानी है ।

अध्यक्ष महोदय, आजकल बहुत चर्चा है कि उत्तर प्रदेश का मन्त्रि-मन्डल बढ़ा दिया गया। निक्सन साहब जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने जनता के कहने पर, जनता के विरोध में इस्तीफा दे दिया। लेकिन हिन्दुस्तान में तो कुछ कहना ही नहीं है। प्रधान.मन्त्री के बेटे कार बनायेंगे । इतना भी होता तो ठीक है लेकिन यहां तो यह है कि बाप रेल मन्त्री है तो बेटा खेल मन्त्री है। यह चीज पूरे हिन्दुस्तान में चल रही है। इतना ही नहीं मैंने लखनऊ की सड़कों पर एक अजीब तरह का विज्ञापन देखा है । चाहे पेशाबघर हो या कोई ऐसी ही जगह हो वहां बहुगुणा साहब की तस्वीर लगी है । उसमें दिखलाया गया है कि उनकी जेब में दो कलम हैं और एक चश्मा है और उस पर लिखा हुआ है कि इस प्रदेश की जनता के अन्दर इस बात का विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को स्वस्थ और दार्घायु बनाने के लिये चिकित्सालय खोज कर सकते हैं। अभी अमेरिका के कुछ पढ़े लिखे लोग चीन गये थे । उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि बड़े-बड़े अखबारों में प्रकाशित हुआ है कि चीन के अन्दर इतना खाद्यान्न है कि 80 करोड़ लोगों का पेट भर सकता है। लेकिन हमारे मुख्य मन्त्री कहते हैं कि खाना नहीं चाहिये, चावल नहीं चाहिये, बल्कि चिकित्सीय खोज की जायगी और एक टैबलेट दे दी जायगी जिससे हमारे बच्चे स्वस्थ और दीर्घायु हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ही नहीं बल्कि खाद्य मन्त्री जी जब वृन्दावन जाती हैं और उनसे तानसेन पर बोलने के लिये कहा जाता है तो वहां चर्चा है कि सूखा मिटाने के लिये दस लाख रुपये खर्च कर के जो आर्टीफिशियल रेन की गयी वह बेकार। तानसेन को पैदा करो। जब तानसेन पैदा होगा और गाना गायेगा तो सूखा मिटेगा । जब तक तानसेन पैदा नही, होगा सूखा नहीं मिटेगा । अब सूखा मिटाने के लिये हर परिवार तानसेन पैदा करेगा । तानसेन को ही प्रधान मन्त्री और तानसेन को ही मुख्य मन्त्री बना दीजिये, सूखा मिट जायगा । अध्यक्ष महोदय, इतनी ही बात नहीं है हमारे नौजवान साथी ने अभी कहा था । मुन्शी प्रेमचन्द जो इतने बड़े साहित्यकार थे उनका स्मारक है लमही में। पांडेपुर से कुछ चलना पड़ता है। लमही में स्मारक बनाने के लिये नागरी प्रचारिणी सभा ने 1 लाख 26 हजार रुपये का चन्दा इकट्ठा किया। लेकिन उसका क्या किया ? उसमें इतना बड़ा घुटाला किया कि कह नहीं सकते। इतने बड़े साहित्यकार के नाम पर चन्दा इकट्ठा करना और फिर उसका हिसाब न देना बहुत ही अशोभनीय बात है । जिस सार्वजनिक संस्था ने चन्दा इकट्ठा किया तो उसका फर्ज है वह उसका हिसाब दे। हमारे गौरीशंकर जी जो नौजवान विधायक हैं उनको चाहिये कि वह अपनी सरकार पर दबाब डाल कर इसकी जांच करवायें। इसी प्रकार नरेन्द्र नीरव एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं। बी0एच0यू0 में रिसर्च स्कालर हैं । उन्होंने बताया कि नागरी प्रचारिणी सभा में दुर्लभ पांडुलिपियां, अमूल्य ग्रन्थ चोरी से बेच दिये गये हैं या लेखक या साहित्यकार बनने की दृष्टि से छिपा दिये गये हैं। श्रीमद्भागवत, सूर सागर, बिहारी सतसई आज जैसी दुर्लभ कृतियां वहां से लुप्त हो गयी हैं। यह राष्ट्रीय सम्पत्ति का हनन है । इतना ही नहीं, राष्ट्रीय भाषा पुस्तकालय अध्यक्ष को जो वेतन दिया जा

रहा है वह 65 रुपया मासिक दिया जा रहा है । और केवल 77 या 80 हजार वार्षिक वेतन दिया जाता है 80 लाख के बजट में पूरे सूबे के कर्मचारियों को। पदाधिकारियों की सुखसुविधा के लिये जीप मिली हुई है और उस पर साल में केवल 18 हजार रुपया व्यय होता है। अध्यक्ष महोदय, नागरी प्रचारिणी के सम्बन्ध में और भी बातें हैं. मैं उनमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ला एन्ड आर्डर के नाम पर कितना गलत काम हो रहा है यह डा0 के0 बी0 राय जो कि एक्स-हेड आफ डिपार्टमेंट. पालिटिकल साइंस थे जिन्होंने पार्लियामेंन्टरी डेमोक्रेसी पर एक किताब लिखी है, पर 12 तारीख की शाम को उन पर हुये हमले से पता लगेगा। हमला करने वालों ने उनको मारा और उनसे कहा कि अगर वह टाइम्स आफ इन्डिया में एडीटर के नाम लिखे गये पत्र जो उन्होंने बी0 एच0 यू0 के वाइस चान्सलर के बारे में लिखा है, को वापिस नहीं लेंगे तो उनको मारेंगे, पीटेंगे और लूटेंगे और 12 तारीख को डा0 के0 बी0 राय के घर में ट्रान्जिस्टर वगैरा चीजें लूट कर ले गये और डा0 श्रीमाली जिन्दाबाद के नारे लगाते रहे। मैं चीफ मिनिस्टर और सदन के नेता से प्रार्थना करूंगा कि इतने विद्वान और पढ़ेलिखे व्यक्ति पर इस तरह से हमला किया गया और पुलिस ने उस सम्बन्ध में कुछ काम नहीं किया। इतना गम्भीर और इतना दर्दनाक यह काम हुआ है इस पर शीघ्र ऐक्शन लिया जाना चाहिये।

इतना ही नहीं राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है कि भूमि की किस्मों की जांच तथा क्षेत्रीय विकास सम्बन्धी समस्याओं को इंगित करने तथा उनका निदान ढूंढने के कार्य में भी स्थायी वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों एवं कृषि शिक्षा संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि बी0 एच0 यू0 के बोटेनी डिपार्टमेंट ने एक साल पहले कृषि विभाग को एक स्कीम भेजी जिसमें कि किस तरह से जमीन को उर्वरा बनाया जायेगा। लेकिन अफसोस है कि वह अभी पेंडिग पड़ी हुई है और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि आजकल जितना सरकारी कर्मचारियों पर दबाव पड़ रहा है बहुगुणा साहब का, उतना पहले नहीं था। बहुगुणा जी के पुत्र श्री विजय बहुगुणा सरकार की खिलाफत करते हैं। हर मुकदमें में सरकार के खिलाफ पैरवी कर सकते हैं। जब यह बात कही गई तो उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति स्वतन्त्र है। जब चीफ मिनिस्टर का लड़का सरकार के खिलाफ मुकदमें की पैरवी कर सकता है और सरकार के आचरण के खिलाफ बयान कर सकता है तो क्यों नहीं सरकारी कर्मचारी अपनी बात को कह सकता है और अपनी बात को कहने के लिये राज्यपाल से मिलने की इजाजत नहीं दी जानी है। यह दो-तरफा व्यवहार नहीं होना चाहिये। यह बात पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी के विपरीत है।

8 फरवरी को इन्दिरा गांधी बनारस गई थीं। यह लोकतन्त्र की सरकार है और जिस पार्टी की सरकार होती है उसको रैली करने की क्या जरूरत है क्योंकि आपके पास मन्त्री और पूरा प्रशासन है जो आपके काम में सुख-सुविधा का ख्याल रखता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के श्री देवकान्त बरुआ जो मार्क्सवादी फिलासिफी पर काम करते हैं, उनकी स्ट्रेटिजी को लेकर आज कांग्रेस सरकार काम कर रही है। मऊ में जो रैली हुई थी उसमें यह कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी का बहुमत है क्योंकि यह बात उस समय वह स्टेडियम में हुई भीड़ से प्रमाणित होती है। एक तरफ प्रधानमन्त्री कांग्रेस पार्टी की रली में आयें

और सुरक्षा और व्यवस्था के नाम पर वहां के विरोधी दल के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाय वह भी एक दो दिन पहले नहीं, चार पांच दिन पहले यह बात जब बहुगुणा जी से टेलीफोन पर कही गई लेकिन उसके बाद भी उन्हें नहीं छोड़ा गया जबकि उन्हें दिल्ली जाना था। क्या यह जनतान्त्रिक परम्परा का अनुसरण मुख्य मन्त्री जी कर रहे हैं? मैंसाफ तौर से कहना चाहता हूं कि आज पूरे के पूरे सूबे में विद्यार्थियों का दमन किया जा रहा है। 'मीसा' और 'डी० आई० आर०' में उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। छात्र प्रिय सरकार हैं ऐसा बहुगुणा जी का दावा है तो लखनऊ विश्वविद्यालय में कौन जीता? क्या कांग्रेस समर्थक उम्मीदवार जीता? क्या गोरखपुर विश्वविद्यालय में कांग्रेस समर्थक उम्मीदवार जीता? नहीं जीता। बनारस में भी चुनाव होने वाला है। मैं बतला दूं आप चाहे जितना पैसा लगा दें, चाहे जितनी ताकत अपनी लगा दें बनारस विश्वविद्यालय में भी कांग्रेस का उम्मीदवार चुनने नहीं जा रहा है। वहां भी विरोधी दल का उम्मीदवार जीतेगा क्योंकि आप 302, 307 तथा 392 के मुलजिमों को अपना उम्मीदवार घोषित करते हैं।

बनारस विश्वविद्यालय ने अपने छात्र संघ के जिस उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार घोषित किया है वह डकैती तथा मर्डर का मुलजिम है, राहजनी का मुलजिम है। नौजवानों में से अपराधी लोगों को ले कर अगर आप जनतन्त्र तथा समाजवाद का नारा बुलन्द करेंगे तो आने वाली पीढ़ी राजनीतिक पीढ़ी नहीं होगी बल्कि अपराधी पीढ़ी होगी और अपराधियों को इस प्रदेश को तथा देश को देने के बाद क्या यहां की गरीबी दूर हो सकेगी? गांधी, लोहिया के बताये हुए रास्ते के अनुरूप गरीबी और अमीरी का फर्क मिट सकेगा। आज दमन की नीति के जरिये, डी० आई० आर० तथा मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार करने से, लाठी तथा डंडा चलाने से तथा जेल में लोगों को बन्द करने से इन्दिरा के विरुद्ध जो देश व्यापी असन्तोष बढ़ रहा है उसका समाधान होने वाला नहीं है। इसका समाधान होगा, पूंजीवाद को समाप्त करने से, शिक्षण संस्थाओं का डेमोक्रेटाइजेशन करने से। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक शैक्षिक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। यह लाठी तथा पी० ए० सी० तथा गोली के जरिये नहीं होगा।

आखिर में मैं एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं। मैं बहुगुणा जी पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता। पता नहीं इस देश तथा प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि जो आदमी प्रधान मन्त्री या मुख्य मन्त्री हो जाता है वह अपने परिवार के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को सब जगह बैठाने लगता है ताकि देश आगे बढ़ सके? क्या वाकई इससे देश आगे बढ़ सकेगा? जवाहरलाल जी यही करते रहे, कमलापति त्रिपाठी यही करते रहे। जवाहर लाल जी ने कहा आराम हराम है। शास्त्री जी आये तो कहा जय किसान और जय जवान। इंदिरा जी आईं तो कहा दो या तीन बस। परिवार नियोजन कर दिया जाय तो देश की सारी समस्याओं का समाधान हो जायगा। बहुगुणा जी आये तो कहा कि हमने विश्वविद्यालय खोल दिये हैं। वह पहाड़ के आदमी हैं। पहाड़ के आदमियों के प्रति हमारी सहानुभूति है। मैं चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश इस प्रदेश को संचालित करते हुये आगे बढ़े। लेकिन आप देखें कि पन्त नगर विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं श्री एस० पी० पांडेय जो नैनीताल के कुमायूं खंड के हैं। गढ़वाल विश्व-

विद्यालय के श्री भट्ट हैं जो गढ़वाली हैं। नैनीताल यूनिवर्सिटी के उपकुलपति श्री डी० डी० पन्त हैं जो गढ़वाली हैं। कानपुर के श्री भक्तदर्शन हैं जो गढ़वाली हैं और रुहेलखंड विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी गढ़वाली ही हैं। इस प्रकार जितने भी वाइस चान्सलर हैं वे पिथौरागढ़ के हैं अथवा गढ़वाल के हैं और तमाम लोग प्रदेश में बिलकुल अनपढ़ हैं।

अध्यक्ष महोदय, बड़े दावे के साथ कहा गया मुख्य मन्त्री द्वारा कि हमने नये नये विश्वविद्यालय खोले और इस प्रकार शिक्षा का प्रसार कर दिया। पहले आगरा यूनिवर्सिटी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी नहीं थी, एग्जामिनिंग बाडी होती थी। बरेली, मुरादाबाद तथा रुहेलखंड के लोग परीक्षा दिया करते थे। रुहेलखंड, फैजाबाद में रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय नहीं हैं, एग्जामिनिंग बाडीज ही हैं। एक रजिस्ट्रार की जगह वाइस चान्सलर नियुक्त हो गया है जो परीक्षाओं का संचालन करेगा। कोई नई बात नहीं की गई है। वहां कोई टीचिंग का प्रबन्ध नहीं किया गया है। शिक्षा का प्रसार इसतरह से नहीं होगा। उसके लिये पूरी शिक्षा में आमूल परिवर्तन करना होगा। पक्षपात करना छोड़ना होगा। उत्तर प्रदेश विधान सभा में भले ही गरमी महसूस न होती हो लेकिन विधान सभा के बाहर संसद से सड़क तक जनता ने आज अव्यवस्था के विरुद्ध आवाज बुलन्द कर दी है और अगर आप अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलेंगे तो देश में जय प्रकाश वाली क्रान्ति, गांधी जी की अवरुद्ध क्रान्ति होगी जिसमें करोड़ों करोड़ों लोग आ जायेंगे। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप पूंजी पतियों का साथ छोड़ दें वरना आपकी वही हालत होगी जो पाकिस्तान में अहिया खां की हुई है और अमेरिका में निक्सन की हुई है।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर रामायण राय जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष—

कल आप अपना भाषण जारी रखेंगे।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुलायम सिंह यादव तथा माननीय बेनी प्रसाद वर्मा ने बुढ़वल शुगर मिल, बाराबंकी के ऊपर गन्ना किसानों का बकाया धन, से सम्बन्धित सूचना दी है। यह प्रश्न अविलम्बनीय महत्व का नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

मान्यवर, पिछले दिनों वहां के किसान लखनऊ में प्रदर्शन करने के लिए आये। वहां पर भूख हड़ताल चल रही है। उसमें लाखों रुपये का घुटाला किया गया है और 1 करोड़ 16 लाख किसानों का बकाया है। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है।

श्री अध्यक्ष--

राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा में आप इसे कह सकते हैं, बजट के मौके पर कह सकते हैं लेकिन यह अविलम्बनीय महत्व का नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

फिर भी कुछ नहीं हो पाया तो आप इसे स्वीकार कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल ने होमियोपैथिक कालेजों के छात्रों की मांग सम्बन्धी क्रमिक अनशन के सम्बन्ध में दिया है। यह भी अविलम्बनीय महत्व का नहीं है।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)---

आवश्यक कार्यवाही के लिये सरकार के पास भिजवा दें

श्री अध्यक्ष--

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में यह सारी बातें आ जायेंगी। उसके बाद यदि आप देंगे तो मंजूर कर लेंगे।

एक सूचना श्री अब्दुल रऊफ लारी ने दी है कि थाना आनन्दनगर (गोरखपुर) की पुलिस की बर्बरता के फलस्वरूप मछली गांव के इन्टर कालेज के छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होने में बाधा हुई . . . इसमें अगर आपको राज्यपाल के भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका नहीं मिला तो देखा जायेगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, एक हजार बच्चे स्कूल छोड़कर इधर-उधर भाग रहे हैं और पूरे जिले में इसका असर हो रहा है। मेरा विचार था कि आप मुख्य मन्त्री जी को इसे भेज देंगे तो मालूम हो जायेगा कि वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं। आज प्रदेश की यह हालत हो गई है कि स्कूलों में बच्चों की पिटाई शुरू कर दी। इसलिये आप इसे सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दें। पुलिस को इस प्रकार बर्बर कार्य करने की छूट नहीं होनी चाहिये कि सब क्षेत्र में एक डंडे से हांके, जो जुर्म करे उसको सजा दें।

श्री अध्यक्ष--

आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया जायेगा।

एक सूचना श्री श्रीनारायण जी ने दी है जिसमें एक युवती की तथाकथित 8 हजार रुपये में नीलाम किये जाने से जनता में असन्तोष, तो यह व्यक्तिगत मामला है। जनता में क्या हो सकता है . . . . .

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)---

यह बड़ा अहम मसला है। एक गरीब हरिजन लड़की को 8 हजार में बेच लिया। जनता में इस वजह से असन्तोष है। इस पर आप मुख्य मंत्री से बयान दिलायें।

श्री अध्यक्ष—

लड़की हरिजन है और जो वह आदमी है वह भी हरिजन है। हम इसको भेज देंगे आवश्यक कार्यवाही के लिए।

अब श्री सत्य प्रकाश मालवीय का है ...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

यह बहुत अहम मामला है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एश्योरेंस दिया था.....

श्री अध्यक्ष—

इसका आपको जब राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा पर जवाब होगा उसमें मिल जायेगा। और अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तब फिर उठा सकते हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

आश्वासन दिया गया था कि आन्तरिक सुरक्षा कानून का प्रयोग छात्रों के विरुद्ध नहीं किया जायेगा। तो उसके बाद भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के नेता श्री अविनाश शुक्ला आदि को फतेहगढ़ में बन्द किया।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है यह इतना अविलम्बनीय महत्व का नहीं है कि अभी ले लें। राज्यपाल के भाषण की चर्चा के जवाब में उत्तर आयेगा अगर उसमें नहीं आयेगा तब आप कहें बयान दिलवायेंगे।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

हम लोगों ने एक नोटिस दिया था आपने स्वीकार नहीं किया। वह बहुत अहम मामला है चोरियों और डकैतियों से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष—

परसों दिया था वह अस्वीकार हो गया। एक स्वीकार कर लिया था।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

वह भी इतना ही इम्पार्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष—

उसका एक कायदा है अगर दो-तीन एक साथ देंगे तो जो ज्यादा महत्व का होगा एक स्वीकार होगा।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

अध्यक्ष महोदय, एक देवेन्द्र सर्राफ रिपोर्ट लिखवाने गये तो उनको बन्द कर दिया।

श्री अध्यक्ष—

एक दिन में एक स्वीकार होता है जो सबसे महत्वपूर्ण था उसे स्वीकार कर लिया। दूसरे के लिये आप फिर दूसरे दिन कह सकते हैं।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मैं फिर दे देता हूं। आप गौर फरमायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आपकी खुशी, हम सलाह नहीं देंगे। हम एक रास्ता बताते हैं। त्रिवेणी सहाय जी का जो है वह भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा जा सकता है। वसूली, बकाया, व लेवी आदि ऐसी चीजें हैं जिन सबके बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के समय कहा जा सकता है। आप उस समय कहें और शासन की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब न आये या आपको मौका ही न मिल पाये तो जब विधायी कार्य आ जायेंगे तो मौका एक दिन दे देंगे। जब राज्यपाल का अभिभाषण आपने हो तो इस समय यह अवसर नहीं दिया जा सकता।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

जिनसे लेवी नहीं ली जानी चाहिये, उनके लाइसेंस कैंसिल करने की बात है। इसलिये मैं कह रहा हूं। छोटे-छोटे दूकानदार हैं वे अत्यधिक परेशान हैं। डिप्टी आर0 एम0 ओ0 कह रहे हैं जो 8 क्विन्टल लेवी नहीं देंगे, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिये जायेंगे। कल हमारे पास व्यापारियों का फोन आया था। इस पर सरकार का वक्तव्य तत्काल आना चाहिए। खाद्य मन्त्री जी भी बैठी हैं, लेवी वसूलने में प्रदेश भर में ज्यादती हो रही है। यहां से भी ये निर्देश दिये गये हैं कि हर जगह सख्ती से लेवी वसूली जाए। तो मेरा आप स्वीकार कर लें, 25 तारीख को आ जाए।

श्री अध्यक्ष—

अभी आपको अवसर सुलभ है, इस महत्वपूर्ण सवाल को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की चर्चा के बीच में आप उठा सकते हैं। यदि आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा और आप बाद में चाहेंगे, देंगे तो इसे बयान के लिये स्वीकार करेंगे।

कुटीर उद्योग क्षेत्र की खांडसारी इकाइयों पर 33 प्रतिशत लेवी लगाने से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

खाद्य तथा रसद मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी)—

विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये यह निर्णय लेना पड़ा कि मिलों द्वारा निर्मित चीनी का अधिक से अधिक निर्यात किया जाये। तदनुसार राज्य में जनवितरण प्रणाली को बनाये रखने के लिये यह निर्णय लेना आवश्यक हो गया कि सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा वितरित की जाने वाली मिल की चीनी की कमी को पूरा करने के लिये दानेदार खांडसारी शक्कर का उद्ग्रहण किया जाये। अतएव भारत सरकार के परामर्श से प्रदेश में मल्फिटेशन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित होने वाली सफेद दानेदार खांडसारी शक्कर के उद्ग्रहण के लिये दिनांक 29 जनवरी, 1975 के उत्तर प्रदेश खांडसारी शक्कर (उद्ग्रहण) आदेश, 1975 लागू किया गया जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

प्रदेश मे 4,807 खांडसारी की इकाइयां हैं जिनमें से केवल 1,285 इकाइयां ऐसी हैं जो सफेद दानेदार खांडसारी शक्कर का उत्पादन मल्फिटेशन प्रक्रिया के अनुसार करती हैं। यह आदेश केवल ऐसी 1,285 इकाइयों पर ही लागू किया गया।

उपरोक्त इकाइयों द्वारा खांडसारी शक्कर का उत्पादन साधारणतया तीन क्रमिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। इस आदेश के प्राविधान के अनुसार केवल पहली प्रक्रिया से तैयार की गई सफेद दानेदार खांडसारी पर ही लेवी देय है।

प्रथम प्रक्रिया से तैयार सफेद दानेदार खांडसारी चीनी पर देय लेवी 33 प्रतिशत है। लेवी भाग की मात्रा आंकने के लिये उत्पादकों द्वारा पेरे गये गन्ने का परिमाण उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) नियमावली, 1961 की अनुसूची 1 के अनुसार अनुमानित किया जायेगा।

लेवी भाग का मूल्य रु0 200 प्रति कुन्तल है। इस मूल्य में बोरे का दाम व क्रय केन्द्र तक लेवी चीनी को पहुंचाने का व्यय भी शामिल है। जो चीनी सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा बेची जाती है उसका विक्रय मूल्य रु0 215 प्रति कुन्तल है। लेवी द्वारा उगाही खांडसारी का मूल्य रु0 200 प्रति कुन्तल रखने पर अन्य व्ययों को जोड़ने के पश्चात् राज्य सरकार को प्रति कुन्तल लगभग रु0 170 सबसीडी देनी पड़ेगी क्योंकि यह उचित समझा गया कि सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा विक्रय मूल्य इस खांडसारी शक्कर का भी उतना ही रखा जाये जितना मिल की चीनी का है।

उपरोक्त आदेश के अनुसार खांडसारी शक्कर पर देय लेवी मात्रा की डिलीवरी लेने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को सौंपा गया है। स्थानीय परिस्थितियों तथा खांडसारी निर्माताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक 32 जिलों में जहां उपरोक्त प्रकार की खांडसारी शक्कर का निर्माण होता है 60 क्रय केन्द्र खोले गये हैं जिन पर लेवी भाग की शक्कर भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राप्त करके मूल्य का भुगतान किया जाता है।

इस आदेश के विरुद्ध खांडसारी शक्कर के कतिपय उत्पादकों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें दायर की हैं जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। न्यायालय ने याचिकाओं पर कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है।

कतिपय उत्पादकों द्वारा एक ओर तो रिट याचिकायें दायर की गई हैं व दूसरी ओर उन्होंने अपनी इकाइयों को बन्द कर रखा है। मौसम की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अभी गन्ना सूखने अथवा उसकी बिक्री न हो पाने की कोई सम्भावना नहीं है। यह सही नहीं है कि इस उद्ग्रहण आदेश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में असन्तोष अथवा उत्तेजना व्याप्त है।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, अभी चीनी की जो समस्या है लेवी की इससे सारे प्रदेश में बहुत गम्भीर वातावरण उत्पन्न हो गया है। एक ओर काश्तकार का गन्ना खड़ा हुआ सूख रहा है। इसमें जो कहा गया कि है कि गन्ना नहीं सूख रहा है यह झूठ और गलत है। दूसरी बात यह है कि पांच लाख मजदूर बेरोजगार हो रहा है। सारी खांडसारी की इकाइयां बन्द हो गयी हैं। इसलिये लेवी का दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है। छोटे किसानों का गल्ला नहीं बिकेगा और इसका अगली फसल पर भी प्रभाव पड़ेगा। खांडसारी

[श्री सत्य प्रकाश]

की इकाइयों में 65 प्रतिशत गन्ना पेरा जाता है, और केवल 35 प्रतिशत गन्ना चीनी मिल ले पाती हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर लेवी लगानी ही थी तो जब सारा का सारा सीजन समाप्त हो जाता तब लगायी जाती। इस समय लेवी लगाने से किसान, मजदूर और उद्योग तीनों पर गम्भीर प्रभाव पड़ रहा है। इसलिये इस समय लेवी को वापस ले कर आगे जब कभी सीजन पूरा हो जायगा तब लेवी करेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जैसा कि मैंने बताया खांडसारी बनाने वाले कुछ लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट में चले गये हैं इसलिये इस स्टेज पर सरकार की तरफ से ऐसी किसी प्रकार की घोषणा करना सम्भव नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश—

लेवी में मूल्य दो सौ रुपये प्रति बोरी रखा गया है, जबकि बोरे का दाम आठ रुपये, इसके अतिरिक्त लदाई आदि का भी खर्चा उसमें शामिल है। दो सौ रुपये में एक बोरी चीनी बना कर कोई नहीं दे सकता है। उसका मूल्य तीन सौ रुपये प्रति बोरी पड़ता है। इसलिये जो दो सौ रुपये मूल्य रखा गया है क्या उसको तीन सौ रुपये करेंगी ? चूंकि चीनी मिलों में दो सौ रुपये के रेट पर चीनी लेते हैं इसलिये बाजार में जो और लोग चीनी बनाते हैं उनसे भी उसी रेट पर चीनी ली जाय, क्या इस आधार पर पुन : विचार करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अध्यक्ष जी, जो लोग रिट में गये हैं उन्होंने इस प्रश्न को उठाया है इसलिये सरकार के लिये सम्भव नहीं है कि मूल्यों पर भी कोई बयान दे।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

जैसा मन्त्री जी ने बताया खांडसारी के सम्बन्ध में कुछ लोग हाई कोर्ट में चले गये इस समय सरकार इस मौके पर फैसला लेने में असमर्थ है। मैं आपके द्वारा जानना चाहूंगा कि जब किसी पर मुकदमा चलाया जाता है या कोई हाई कोर्ट में चला जाता है तो कोई छूट देने में कोई कानूनी बन्दिश है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

हमने एक नीति घोषित की है उसके खिलाफ वे लोग अदालत में चले गये हैं। आप प्रश्न कर रहे हैं कि हम वापस लें तो कैसे कह सकते हैं क्योंकि सारा मामला अदालत में है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

वापस लेने में कोई कानूनी बन्दिश नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

खांडसारी उत्पादकों के अन्दर बड़ा असन्तोष है। कुछ लोग लेवी देने के लिये रजामन्द भी हैं। लेकिन जो तरीका रखा है वह ठीक नहीं है क्योंकि 80 दिन का प्रोडक्शन सरकार को देना होगा। उनका पैसा लग रहा है इसलिये कुछ हिस्सा सरकार ले और कुछ हिस्सा उनके पास रहेगा तो यह सवाल हल हो सकता है। दूसरी बात यह है

कि मिलों में किसानों का गन्ना जाता है तो उनका पैसा बकाया पड़ा रहता है। खांडसारी वाले नगद भुगतान करते हैं इसलिये ऐसा रास्ता निकाला जाये जिससे गन्ना उत्पादकों को भी राहत मिले और इनको भी राहत मिले। क्या आप उनको बुला कर बात करने के लिये तैयार होंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, नेगी साहब ने जो सुझाव रखे हैं तो सरकार ने इस मामले पर काफी गम्भीरता के साथ विचार किया और इनके प्रतिनिधियों से भी बातचीत हुई। ऐसी बात नहीं है कि सरकार बातचीत नहीं करती है। हमेशा जब भी जनता के सामने कोई सवाल आता है सरकार बातचीत करती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि यह लेवी जनहित में लाई गई है। यह नीति राष्ट्रीय नीति है और इसके अन्तर्गत इसको लाया गया है। जो आपका सुझाव है कि 90 दिन का प्रोडक्शन किस तरह से लेना है यह सारी चीजें बातचीत की हैं जिस पर सरकार समय-समय पर विचार करती है। हमने 90 दिन का जो आर्डर दिया है उसमें 33 प्रतिशत देने की बात है। बातचीत में जो चीज निकले हम उस पर विचार करने के लिये तैयार हैं। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि किसानों को तकलीफ दी जाये या खांडसारी व्यापारियों को तकलीफ दी जाये। लेकिन राष्ट्रहित में अगर हम समझते हैं कि अच्छी चीज बाहर भेजकर फारेन एक्सचैंज पैदा कर सकते हैं तो मैं कहूंगी कि यह हमारे लिये अनुशासन और परीक्षा की घड़ी है ; इसलिये हमको देश में ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिये और जनता को तैयार करें जिससे हम बाहर से फारेन एक्सचेंज ला सकें और अपनी चीनी जो हमारी फेयर प्राइस शाप्स हैं उनके द्वारा दे सकें। इसके लिये जो हम करने जा रहे हैं उसमें आप भी हमारी मदद करें।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि लेवी के द्वारा कितनी चीनी मिली है। दूसरी बात यह है कि 35 प्रतिशत गन्ना मिलों के द्वारा क्रश होता है और बाकी 65 प्रतिशत गन्ना क्रशर्स की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। इस समय वे लोग हाई कोर्ट में चले गये हैं। गन्ने का भी एक पीरियड होता है उसमें यदि क्रश नहीं होता तो ठीक नहीं होता है। तो अगर हाई कोर्ट में फैसला नहीं हुआ जल्दी तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जल्दी से जल्दी इसको तय करके किसानों और जनता के हित में कोई न कोई रास्ता निकालेगी।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी --

सरकार तो कोर्ट में गई नहीं है। जो लोग गये हैं कोर्ट में वह इस पर विचार कर सकते हैं। जहां तक हमारे माननीय सदस्यों को गलतफहमी है कि कुल गन्ना जो है उसका 65 प्रतिशत जो है, वह खांडसारी यूनिट या कुछ लोगों के द्वारा इस्तेमाल होती है ? हमारे यहां कुल गन्ना उत्पादन जो है उनके हिसाब से केवल 7 प्रतिशत जो है वह इस प्रकार की सफेद दाने वाली चीनी के लिये है जिसका कि हमने अभी आंकड़ा बताया है। यों तो हमारे यहां खांडसारी यूनिट जो हैं रवा बनाने के लिये वे 5 हजार हैं। 1285 के ऊपर हमने लेवी लगाई है। जितना गन्ना पेरा जाता है उसका 50 प्रतिशत हमारे यहां गुड़ में जाता है। 33 से 35 प्रतिशत तक जो है वह करीब-करीब चीनी मिलों के अन्दर जाता है।

[डा0 राजेन्द्र कुमारी बाजपेई]

वह वैरी करता है। अब इस तरह यह कहना कि गन्ना सूख जायगा, 5 लाख लोग बेकार पड़े हुये हैं और इतने बड़े पैमाने पर सारा जो हो रहा है, कुछ ऐसी स्थिति नहीं है।

श्री देव बहादुर सिंह--

आपको लेवी में अब तक कितनी चीनी मिली ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी --

4 हजार कुन्टल।

*श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि इसमें अक्सरियत ऐसे लोगों की है कि जो काफी शेयर होल्डर हैं, जो थोड़े पैसे वाले हैं, पूंजी वाले हैं और उनका जो चक्कर है इस काम का अगर एक हफ्ते तक सल्फर प्लान्ट रुक जाता है और आपने कन्सीडर नहीं किया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें काफी नुकसान में जायगा जिसका असर न कि किसानों पर ही पड़ेगा बल्कि मजदूरों पर पड़ेगा। इसको अगर आपको लगाना ही था तो पहले लगातीं, बीच भंवर में जो आपने यह रास्ता अख्तियार किया है यह मुनासिब नहीं है। इसलिये मैंने यह जो मांग किया है कि जो आपने इतनी ज्यादा लेवी लगा दिया है इसको वापस ले लें तो ज्यादा अच्छा है, यह देश के हित में ज्यादा अच्छा है। जैसे हमारी साथी ने कहा कि बहुत काफी गन्ना सूख रहा है, मैं अपने मुरादाबाद और जिला सम्भल की बात बताता हूं वहां पर पचासों सल्फर प्लान्ट बन्द पड़े हैं, उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं। यह आपकी पालिसी बिलकुल गलत है। क्या यह जो लेवी आपने लगाई है उसको वापस लेने की कृपा करेंगी ?

डाक्टर राजजेन्द्र कुमारी बाजपेयी --

माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसके सिलसिले में मुझे इतना ही कहना है कि जब कभी कोई नयी नीति अपनायी जाती है तो सारी योजना पहले से बनायी जाती है। लेवी के सिलसिले में हमने सारी योजना बनायी है। इसका हमें पहले से अन्दाजा था कि इस साल यह करना है, किस तरह से किया जाये, इस सब में कुछ देरी हुई है। जो लोग व्यवसायी हैं उनका ध्यान रखा गया है जिससे उन पर अन नेसेसरी बर्डन न पड़े। जो माननीय सदस्य यहां वकालत कर रहे हैं वह गरीबों की वकालत नहीं कर रहे हैं बल्कि खांडसारी वालों का पैसा बोल रहा है।

श्री सत्य प्रकाश--

यह सरासर झूठ है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

अभी जो लेवी लगायी गयी है वह नहीं लगायी जानी चाहिये थी।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुटीर उद्योग क्षेत्र की खांडसारी इकाइयों पर 33 प्रतिशत लेवी लगाने से 337 उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---

अब आप नही चाहते हैं।

अब हम उठते हैं 24 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 17 मिनट पर सोमवार, 24 फरवरी, 1975 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
21 फरवरी, 1975।

नत्थी "क"

(देखिये पीछे पृष्ठ 307 पर)

उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस (नकद संदाय) विधेयक, 1975

न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 के अधीन देय न्यायालय फीस का कतिपय परिस्थितियों में नकद संदाय करने की व्यवस्था करने के लिये,

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस (नकद संदाय) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 7, 1870 में नई धारा 25-क का बढ़ाया जाना।

2—न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा 25 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

नकद संदाय

"25-क—(1) धारा 25 में किसी बात के होते हुए भी, अपेक्षित अभिधान के न्यायालय फीस स्टाम्पों की अस्थायी न्यायालय फीस का कमी होने की दशा में, किसी दस्तावेज पर पचास रुपये से अनधिक देय न्यायालय फीस का भुगतान, ऐसे दस्तावेज प्राप्त करने वाले उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के अथवा प्राधिकारी या अधिकारी के ऐसे अधीनस्थ अधिकारी या लिपिक को, जिसे ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, नकद धनराशि के रूप में किया जा सकेगा, और ऐसा अधीनस्थ अधिकारी या लिपिक उसके लिये एक रसीद देगा, जिसे सम्बद्ध दस्तावेज पर चिपकाया जायगा और इस प्रकार रसीद को चिपकाये जाने का वही प्रभाव होगा मानो उतनी रकम का न्यायालय फीस इस अधिनियम के अनुसार सम्यक् रूप से संदत्त कर दिया गया हो।

(2) न्यायालय फीस के बदले में नकद धनराशि प्राप्त करने वाला लिपिक या अधिकारी उसे न्यायिक स्टाम्प के राजस्व के रूप में, शीर्षक "0—30—स्टाम्प तथा रजिस्ट्रीकरण फीस" के अन्तर्गत, यथास्थिति, कोषागार या बैंक में जमा करेगा।

(3) राज्य सरकार इस प्रकार नकद धनराशि के रूप में संदत्त रकम का लेखा रखने के सम्बन्ध में सामान्य आदेश द्वारा नियम बना सकेगी।

(4) न्यायालय फीस स्टाम्प को पच करने तथा रद्द करने से सम्बन्धित नियम तथा आदेश, आवश्यक परिवर्तनों सहित, उपधारा (1) में निर्दिष्ट रसीद के सम्बन्ध में लागू होंगे।

(5) ऐसी ही परिस्थितियों में किसी दस्तावेज पर पचास रुपये से अधिक के देय न्यायालय फीस की दशा में उसका भुगतान कोषागार में (जिसके अन्तर्गत उप-कोषागार भी है) किया जा सकेगा, और ऐसा भुगतान किये जाने पर कोषागार का प्रभारी अधिकारी इस प्रकार नकद धनराशि के रूप में संदत्त न्यायालय फीस की रकम को दस्तावेज पर पृष्ठांकित करके प्रमाणित करेगा, और ऐसे पृष्ठांकन का ही प्रभाव होगा मानो न्यायालय फीस का भुगतान इस अधिनियम के अनुसार सम्यक् रूप से कर दिया गया है।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4, 1975।

निरसन तथा बचाव

3—(1) उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस (नकद संदाय) अध्यादेश, 1975, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन की गई बात या किया गया कार्य समझा जायगा मानों यह अधिनियम 31 जनवरी, 1975 को प्रवृत्त हो गया था।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश के विभिन्न कोषागारों में कोर्ट फीस स्टाम्पों की बहुत कमी हो गई थी। कन्ट्रोलर आफ स्टाम्प्स नासिक सेक्योरिटी प्रेस के अनुसार इन स्टाम्पों के लिये प्रयोग किये जाने वाले कागज की कमी हो जाने के कारण वे इन स्टाम्पों की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुये जनसाधारण की सुविधा हेतु न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 मे यह प्राविधान करना आवश्यक समझा गया कि कोर्ट फीस स्टाम्पों की अस्थायी कमी होने की दशा में किसी दस्तावेज पर देय फीस का भुगतान नकद धनराशि के रूप में किया जा सके।

2—चूंकि राज्य विधान मन्डल सत्र में नहीं था और तुन्रत कार्यवाही करना आवश्यक था, अतएव, दिनांक 31 जनवरी, 1975 को उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस (नकद संदाय) अध्यादेश, 1975 प्रख्यापित किया गया।

3—यह विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जा रहा है।

नारायण दत्त तिवारी,
वित्त मन्त्री।

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 95 वि0 सभा (509)—1975—8351